



भारत सरकार, रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड



विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 05/2026



पैरामेडिकल कोटियों की भर्ती



विषय सूची

क्र.सं.	पैरा सं.	विषय	पेज सं.
1	महत्वपूर्ण तिथियाँ	महत्वपूर्ण तिथियाँ	1
2	महत्वपूर्ण निर्देश	महत्वपूर्ण निर्देश	1-3
3	1.0	सामान्य अनुदेश	4-6
4	2.0	रिक्तियाँ	6
5	3.0	चिकित्सा योग्यता का मानक	6-7
6	4.0	राष्ट्रीयता/ नागरिकता	7
7	5.0	आयु सीमा	7
8	5.1	अभ्यर्थियों की जन्म तिथि	7
9	5.2	आयु सीमा में छूट	7-8
10	6.0	शैक्षणिक योग्यता	8
11	7.0	परीक्षा शुल्क	8-9
12	7.1	शुल्क भुगतान के तरीके	9
13	7.2	अल्पसंख्यक	9
14	7.3	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी)	9
15	7.4	परीक्षा शुल्क की वापसी	9-10
16	8.0	लंबवत आरक्षण	10
17	8.5	ओबीसी आरक्षण	10-11
18	8.13	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	11-12
19	9.0	क्षैतिज आरक्षण	12
20	10.0	भूतपूर्व सैनिक	12-14
21	11.0	मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	14-16
22	11.7	स्क्राइब की सहायता की सहायता और प्रतिपूरक समय के लिए दिशा-निर्देश	16-17
23	11.7.8	स्क्राइब के लिए पंजीकरण	17-18
24	12.0	वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)	18
25	13.0	भर्ती प्रक्रिया	18-20
26	14.0	आवेदन कैसे करें	21
27	14.2	खाता बनाएं	21
28	14.3	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश	21-22
29	14.4	आवेदन के दौरान उम्मीदवार का लाइव फोटो कैप्चरिंग	22
30	14.5	अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज़	22-23
31	14.6	स्क्राइब की सहायता	23-25
32	14.7	भरे गये आवेदन विवरण में संशोधन	25
33	15.0	कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी)	25
34	16.0	विभिन्न रे.भ.बो. और उनकी वेबसाइटों का विवरण	25
35	17.0	आवेदन में संशोधन	25-26
36	18.0	अमान्य आवेदन/अस्वीकृति	26
37	19.0	ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश	26-27
38	20.0	मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप	26-27
39	21.0	अनुचित व्यवहार का प्रयोग	27
40	22.0	विविध	27-28
41	23.0	सीईएन में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप	28-29

अनुलग्नकों की सूची

क्र. सं.	अनुलग्नक सं.	विषय	पेज सं.
1	अनुलग्नक – ए	पोस्ट पैरामीटर	30-31
2	अनुलग्नक-ब	रे.भ.बो. तथा जोन-वार रिक्ति तालिका	32-36
3	अनुलग्नक-सी	पैरा-मेडिकल श्रेणियों के विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम	37
4	अनुलग्नक। - I	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप	38
5	अनुलग्नक -II	ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र का प्रारूप	39
6	अनुलग्नक-II ए	ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों द्वारा स्वघोषणा	40
7	अनुलग्नक - III	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय और संपत्ति प्रमाणपत्र	41
8	अनुलग्नक - III ए	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाणपत्र	42
9	अनुलग्नक- IV	दस्तावेज़ सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला परीक्षा शुल्क माफ़ी का प्रोफ़ॉर्म	43
10	अनुलग्नक –V(ए)	फॉर्म –V – दिव्यांगता प्रमाणपत्र (एकल दिव्यांगता के मामलों में)	44
11	अनुलग्नक- V (बी)	फॉर्म - VI- दिव्यांगता प्रमाणपत्र(एकाधिक विकलांगताओं के मामले में)	45
12	अनुलग्नक- V (सी)	स्क्राइब का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्धता पत्र	46
13	अनुलग्नक- V (डी)	आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 ,की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाणपत्र	47
14	अनुलग्नक- V (ई)	40 % से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रतिबद्धता पत्र	48
15	अनुलग्नक- V(एफ)	परीक्षा लिखने के लिए परीक्षार्थी की शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाणपत्र	49
16	अनुलग्नक -VI	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र	50
17	अनुलग्नक -VI(ए)	सेवारत अधिकारियों के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप (भूतपूर्व सैनिक)	51
18	अनुलग्नक -VII	राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने वाला प्रमाणपत्र	52

सीईएन सं. 05/2026 (पैरामेडिकल कोटियां)

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 05/2026

पैरा-मेडिकल की विभिन्न कोटियों की भर्ती

महत्वपूर्ण तिथियां:

रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना की तिथि	12-09-2026
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	15-09-2026
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	14-10-2026 (23:59 बजे तक)
जमा किये गये आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	16-10-2026
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियां (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं(Create an Account)' फॉर्म में भरे गए विस्तृत विवरण और 'रे.भ.बो. चुने (Chosen रे.भ.बो.)' को संशोधित नहीं किया जा सकता है)	17-10-2026 से 26-10-2026
वे तिथियां जिनके दौरान पात्र स्क्राइव उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल में अपने स्क्राइव का विवरण प्रदान करना होगा	27-10-2026 से 31-10-2026

नोट:

- विस्तृत सीईएन-05/2026 नए एकीकृत रे.भ.बो. की आधिकारिक वेबसाइट (<https://rrb.indianrailways.gov.in/>) पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवार इस कॉमन वेबसाइट से अलग-अलग रे.भ.बो. के वेबपेज पर जा सकते हैं (पैरा 16.0 देखें)। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए लिंक इन वेबसाइटों पर लाइव किया जाएगा।
- सीबीटी और अन्य सूचनाओं की तिथियां समय-समय पर उपरोक्त आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाएंगी।
- सीबीटी, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा एवं पैनल गठन के परिणाम ऊपर दी गई वेबसाइट पर संबंधित रे.भ.बो. के आधिकारिक वेबपेजों पर अपलोड किए जाएंगे।

नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निम्नलिखित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन दिनांक **14.10.2026** को 23:59 बजे तक केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।

क्रम सं.	पद का नाम	7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल	प्रारंभिक वेतन (रु.)	चिकित्सा मानक	01.01.2027 को आयु	कुल रिक्तियां (सभी रे.भ.बो.)
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	44900	C1	20-40	365
2	डाईलायसिस तकनीशियन	6	35400	B1	20-33	01
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	35400	C1	18-33	43
4	ऑडियोलॉजिस्ट & स्पीच थेरेपिस्ट	6	35400	B1	21-30	01
5	फार्मासिस्ट (एंटी ग्रेड)	5	29200	C2	20-35	118
6	रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन	5	29200	B1	19-33	25
7	ईसीजी तकनीशियन	4	25500	C1	18-33	04
8	ऑप्टोमेट्रिस्ट	4	25500	B1	18-33	02
9	लेब सहायक ग्रेड II	3	21700	B1	18-33	31
कुल योग (सभी रे.भ.बो.)						590
सभी रे.भ.बो. एवं रेल जोन की रिक्तियों का विस्तृत वितरण अनुलग्नक बी (अर्थात रे.भ.बो. एवं जोन की रिक्ति विवरण) में दिया गया है।						

महत्वपूर्ण निर्देश:

- कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सीईएन में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ें।
- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं हैं। **निर्धारित शैक्षणिक /तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**
- आवेदन केवल आधिकारिक रे.भ.बो. वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इस विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक-ए (अर्थात, पद-वार मानदंड) और अनुलग्नक-बी (अर्थात सभी रे.भ.बो. एवं जोन की रिक्ति विवरण) को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। इस सीईएन में दर्शाई गई सभी रे.भ.बो. एवं रेल की रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेल प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार इनमें वृद्धि या कमी हो सकती है।

- (iv) **रे.भ.बो. का चयन** और पदों के लिए प्राथमिकताएं: उम्मीदवार केवल एक रे.भ.बो. का चयन कर सकते हैं तथा उस चयनित रे.भ.बो. में ही रेलवे जोन और अधिसूचित पदों/ कोटियों के लिए अपनी प्राथमिकता इंगित कर सकते हैं, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए इच्छुक और पात्र है। आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को आवंटन के समय उपलब्ध रिक्ति के अनुसार केवल उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट रेल जोन और पदों/कोटियों के लिए विचार किया जाएगा। यदि कुछ पदों/कोटियों के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है, तो उन पदों/कोटियों के लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार चुने गए विकल्प अंतिम होंगे और कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है। विभिन्न आरआरबी या एक ही आरआरबी में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। इस सीईएन के अंतर्गत एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे आरआरबी एवं रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी) की भर्ती प्रक्रिया और सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- (v) **उम्मीदवारों की पात्रता** ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अंतिम होगी। रे.भ.बो. पात्रता के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए, आवश्यकतानुसार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर उम्मीदवारी केवल अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु, चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं को पढ़ना होगा और खुद को संतुष्ट करना होगा कि वे पद के लिए पात्र हैं। रे.भ.बो. द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता और आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता/आयु/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के बारे में कोई जानकारी झूठी/गलत है या यदि उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।
- (vi) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु में छूट आदि का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, इस सीईएन के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
- (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक के लिए लागू आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमों और सीईएन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उनके पास नियमों और सीईएन में निर्धारित अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए।
- (viii) **मेडिकल फिटनेस:** उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस पद(पदों) के लिए चयन कर रहे हैं, उसके लिए वे निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो अभ्यर्थी चयनित पद(पदों) के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
- (ix) **आयु (01.01.2027 को) :** प्रत्येक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा पैरा 5.1 एवं 5.2 में प्रासंगिक अधिकतम आयु छूट के साथ दर्शाई गई है।
- (x) भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से होंगे। किसी भी स्टेज पर मोबाइल नंबर या ईमेल बदलने के अनुरोध पर नहीं विचार किए जाएंगे।
- (xi) सीवीटी के लिए केंद्र/शहर का आवंटन और परीक्षा की तिथि तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। उम्मीदवारों को सीवीटी में भाग लेने के लिए अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि/केंद्र/शिफ्ट में बदलाव के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में "खाता बनाएँ" चरण के दौरान डिजिलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण से चूक गए हैं, तो वे अभी भी "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग करके और अपने आधार विवरण प्रदान करके ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान प्रमाणित कर सकते हैं। यह कार्रवाई किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले किसी भी समय की जानी चाहिए। इससे उम्मीदवारों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में एक सहज प्रक्रिया की सुविधा होगी। यदि आवेदक वैकल्पिक फोटो आईडी के साथ अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को सत्यापित करते हैं, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच से गुजरना होगा।
- (xiii) ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों से एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही रे.भ.बो. सीईएन (2024/2025/2026) के दौरान खाता बना लिया है, तो उन्हें इस सीईएन (अर्थात्, सीईएन संख्या 05/2026) के लिए भी लॉग इन और आवेदन करने के लिए उसी खाते के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले खाता बनाना होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बन जाने के बाद किसी भी प्रकार का सुधार स्वीकार्य नहीं होगा। **खाता बन जाने के बाद 'खाता बनाएँ (Create an account)' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) को किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता है।**

- (xiv) ऑनलाइन आवेदन जमा करने और लागू शुल्क के भुगतान के बाद, यदि कोई उम्मीदवार किसी भी विवरण ('खाता बनाएँ' फॉर्म और चुने गए रे.भ.बो. में भरे गए विवरणों को छोड़कर) में और संशोधन करना चाहता है, तो वह 17.10.2026 से 26.10.2026 तक प्रत्येक अवसर पर 250/- रुपये (वापसी योग्य नहीं) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता/सकती है। 'खाता बनाएँ' फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए रे.भ.बो. में भरे गए विवरण बदले नहीं जा सकते।
- (xv) **26.10.2026 के बाद, रे.भ.बो. आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।**
- (xvi) दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के लिए **उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग** उस रे.भ.बो. के लिए रिक्तियों की 1:1 की दर से रे.भ.बो.- वार की जाएगी। यह सीबीटी में उनकी योग्यता पर आधारित होगा। **कई पालियों में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा।** दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने के लिए उनके ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक रे.भ.बो. वेबसाइटों के साथ-साथ एसएमएस और/या ईमेल (उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर) के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर अपडेट और नोटिस की जांच करें।
- (xvii) **नकारात्मक अंकन:** सीबीटी में नकारात्मक अंकन (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए @1/3 अंक) होगा।
- (xviii) सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी मूल्यवान/प्रतिबंधित वस्तु न लाएं।
- (xix) **प्रतिबंधित वस्तुएँ:** संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (मोबाइल फोन, पेजर, घड़ी, ईयरफोन, ब्लूटूथ समर्थित उपकरण, माइक्रोफोन, हेल्थ-बैंड, कैलकुलेटर, किताब, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राईटिंग पैड, बेल्ट, हैंडबैग, कप, पर्स, कैमरा, पानी बोटल, पैकेज/खुला खाद्य सामग्री आदि केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल ई-कॉल लेटर लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर पेन/पेंसिल नहीं लाना है। परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को पेन प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे हाथों या पैरों में मेंहदी न लगाएं जिससे बायोमेट्रिक लेने में बाधा उत्पन्न होती है। इन निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उसे भविष्य की भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा।
- (xx) **भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूर्ण होने के बाद, आरआरबी उम्मीदवारों को उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के अनुसार ही पद और रेलवे/यूनिट आवंटित करेगा, जो कि मेरिट, आरक्षण और पैनल बनाए जाने की तिथि पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर होगा। एक बार उम्मीदवार पैनल में शामिल हो जाने के बाद, समान वेतन स्तर में किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देंगे।**
- (xxi) **कदाचार :** परीक्षा/सीबीटी के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाने पर, किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा दिलाने, किसी अन्य का प्रतिरूपण करने अथवा ऐसा करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थी को सभी आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षा हेतु सम्मिलित होने से आजीवन वंचित (डीबार) कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा यदि वह पहले से रेलवे सेवा में नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। (ध्यान दें : "लोक परीक्षाएँ" (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम एवं नियम, 2024" (The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act and Rules, 2024) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। जैसा 31-07-2026 को संशोधित किया गया है।

1.0 सामान्य अनुदेश :

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- 1.2 इस अधिसूचना के तहत पद(पदों) के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता और चिकित्सा मानकों सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से अपेक्षित तकनीकी/शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताएं हैं। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लोग पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.3 जो उम्मीदवार इस सीईएन के तहत पद(पदों) के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करेंगे, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और रे.भ.बो. और रेल भर्ती सेल (आरआरसी) की सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित(डिबार) कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, जो अभ्यर्थी सूचना और/या तथ्यों में मामूली परिवर्तन के साथ एक से अधिक रे.भ.बो. को एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और/या एक ही रे.भ.बो. को एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को रे.भ.बो. और आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से भी वंचित(डिबार) कर दिया जाएगा।
- 1.4 ऐसे उम्मीदवार जो वर्तमान में किसी भी रे.भ.बो./आरआरसी द्वारा वंचित(डिबार) हैं, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान जब भी पता चलेगा उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा।
- 1.5 ऐसे उम्मीदवार जिन्हें भारत सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू/किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.6 अभ्यर्थी को खाता बनाते समय ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि जैसा एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिक/10वीं कक्षा परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में है वही दर्ज करना चाहिए।
(अ) एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिक/10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम के संबंध में नाम में किसी भी तरह के बदलाव के मामले में, उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में उचित स्थानों पर अपना बदला हुआ नाम और साथ ही अपना एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिक/कुलेशन/10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम अलग से बताना चाहिए। हालाँकि, अन्य सभी विवरण एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिक/कुलेशन/10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाण पत्र से मेल खाने चाहिए और ऐसे बदलाव की तारीख ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख से पहले की होनी चाहिए।
(ब) ऐसे मामलों में, राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, जो लागू हो, तथा परिवर्तित नाम के साथ कोई एक वैध फोटो पहचान पत्र, सीबीटी/दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 1.7 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पैरा 14.4 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी एक लाइव तस्वीर और पैरा 14.5.1 में उल्लिखित मानक विनिर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधली, अस्पष्ट या गैर-मानक तस्वीरों और/या हस्ताक्षरों वाले आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकार किए जा सकते हैं।
- 1.8 सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए और भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में एक जैसे होने चाहिए।
- 1.9 सीबीटी और डीवी की तिथियां पैरा 16.0 में दिए गए अनुसार भाग लेने वाले रे.भ.बो. की वेबपेज पर प्रकाशित की जाएंगी। सीबीटी और डीवी (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर केवल संबंधित रे.भ.बो. की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए जाने चाहिए, जैसा कि पैरा 16.0 में दिया गया है। ई-कॉल लेटर में दर्शाया गया सीबीटी केंद्र, तिथि और पाली अंतिम होगी और तिथि/समय/स्थान में परिवर्तन का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 1.10 सीईएन में दर्शाई गई रिक्तियां अनंतिम हैं और संबंधित रेल प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद में कुल या विशिष्ट समुदायों/इकाइयों में बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं। रेल द्वारा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त पदों को भी बाद में शामिल किया जा सकता है। रे.भ.बो. बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी, अतिरिक्त डीवी आदि शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। तकनीकी बाधाओं अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी भी सीबीटी/दस्तावेज सत्यापन (डीवी) को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार आरआरबी सुरक्षित रखते हैं।
- 1.11 रेल प्रशासन अपने विवेक पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। ऐसे रद्दीकरण की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, सिवाय उन उम्मीदवारों के जिन्होंने सीबीटी में भाग लिया है। (वापसी की राशि के लिए पैरा 7.0 देखें)।
- 1.12 ई-कॉल लेटर जारी करने मात्र से यह नहीं माना जाता कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी रे.भ.बो. द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा के समय, उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति देने से पहले उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ-साथ उनके अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की भी जाँच की जाएगी। उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्रों की जाँच उनकी प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता के साथ-साथ भर्ती के

अगले चरणों यानी मेडिकल जाँच/दस्तावेज सत्यापन में की जाएगी।

- 1.13 रे.भ.बो. पात्रता शर्तों का सत्यापन (मूल दस्तावेजों के संदर्भ में) केवल तभी करते हैं जब उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों में उत्तीर्ण हो जाते हैं और दस्तावेज सत्यापन के लिए अंतिम रूप से चयनित हो जाते हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय, रे.भ.बो. ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरणों का सत्यापन उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल सहायक दस्तावेजों से करेगा। आवेदन में घोषित जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बीच कोई भी विसंगति या पात्रता मानदंडों (जैसे शैक्षिक/तकनीकी योग्यता, आयु, जाति/श्रेणी, चिकित्सा मानक आदि) को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। इसके अलावा, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी, और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत सेवा से हटा दिया जाएगा और साथ ही, ऐसे उम्मीदवारों को रे.भ.बो. और आरआरसी की सभी भविष्य की परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- 1.14 **नियुक्ति का अधिकार:** रे.भ.बो. द्वारा चयन से उम्मीदवारों को रेल में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता। रे.भ.बो. का कार्य केवल क्षेत्रीय रेल के संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और चरित्र-वृत्ति सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन नियुक्ति प्रस्ताव जारी करते हैं। श्रेणी/पद/रेल का आवंटन योग्यता, पद बरीयता, चिकित्सा योग्यता और पैनल तैयार होने की तिथि पर रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। रे.भ.बो. द्वारा श्रेणी/पद/रेल आवंटित किए जाने के बाद, उम्मीदवार उस वेतन स्तर के अंतर्गत किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देते हैं।
- 1.15 **पोस्टिंग:** आम तौर पर, एक रेल कर्मचारी को उस रेल या रेल प्रतिष्ठान में पूरी सेवा के दौरान नियुक्त किया जाएगा जिसमें वह पहली नियुक्ति पर तैनात है और उनका किसी अन्य रेल या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं करना होगा। हालांकि, एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की अनिवार्यताओं में रेल कर्मचारी को भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या रेल प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है। नव नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी करने तक अन्य रेल में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रे.भ.बो. का चयन उचित सावधानी और विचार के साथ करें।
- 1.16 चयनित उम्मीदवार, जो अंतिम रूप से नियुक्त होते हैं, प्रादेशिक सेना की रेल चिकित्सा इकाई में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- 1.17 चयनित अभ्यर्थियों को रेल/पद में कार्यभार ग्रहण करते समय आवश्यकतानुसार सुरक्षा और/या क्षतिपूर्ति बांड भरना होगा।
- 1.18 रे.भ.बो. की चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनजाने में हुई त्रुटि/मुद्रण संबंधी गलती की स्थिति में, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में, जिसमें पैनल-गठन पश्चात भी शामिल है, रेल में उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी, परिणामों को रद्द/संशोधित करने का अधिकार रे.भ.बो. सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, रे.भ.बो. ऐसे उम्मीदवारों को चयन पैनल से हटाने और रेल से उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि वे पहले ही नियुक्त हो चुके हैं, तो उन्हें रेल सेवा से हटाया जा सकता है।
- 1.19 **निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा:** निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा: केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को (यदि आवेदन में चुना गया हो) निःशुल्क स्लीपर क्लास रेल पास दिया जाएगा। चयन के विभिन्न चरणों, जैसे कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)/दस्तावेज सत्यापन (डीवी)/चिकित्सा परीक्षा (जैसा लागू हो) के लिए ई-कॉल लेटर के साथ उन्हें उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण और वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार प्रदान किया जाएगा। रेल आरक्षण और यात्रा करते समय, उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए संबंधित अधिकृत रेल कर्मचारी को मूल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस निःशुल्क यात्रा सुविधा का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करना भी शामिल है।
- 1.20 रे.भ.बो. को किसी भी स्तर पर आवश्यकतानुसार और लागू होने पर सीईएन के तहत भर्ती के किसी भी नियम व शर्त को बदलने/संशोधित करने/जोड़ने/हटाने का अधिकार सुरक्षित है।
- 1.21 रे.भ.बो., उम्मीदवारों की सहमति से, इस भर्ती में प्राप्त अंकों को अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ अपनी भर्ती के लिए साझा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/अस्वीकृति दर्शानी चाहिए।
- 1.22 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले ही अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम समय में किसी भी तरह की भीड़ से बचें। अंतिम दिनों में इंटरनेट या वेबसाइट पर बहुत अधिक ट्रैफिक होने की संभावना के कारण यह सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक)

ईमेल : rrb.help@csc.gov.in

Phone:9592001188 / 01725653333

यदि अभ्यर्थी किसी भी कारणवश अंतिम तिथि तक अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए रे.भ.बो. जिम्मेदार नहीं होगा।

- 2.0 **रिक्तियाँ:** कृपया ध्यान दें कि रेल प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार इन रिक्तियों में वृद्धि या कमी हो सकती है। (तदनुसार संशोधित रिक्ति तालिका प्रकाशित की जाएगी)। इस सीईएन में अधिसूचित पदों के मापदंड (अर्थात् योग्यता, चिकित्सा मानक और दिव्यांगजनों के लिए पद की उपयुक्तता आदि) अनुलग्नक 'ए' में हैं तथा रे.भ.बो.-वार रिक्तियां अनुलग्नक 'बी' में हैं।
- 3.0 **चिकित्सा योग्यता के मानक:** डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेल प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षण पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने द्वारा चुने गए (पदों) से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेल सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा योग्यता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न चिकित्सा मानकों के लिए चिकित्सा आवश्यकताओं को नीचे रेखांकित किया गया है:

क्र.सं.	चिकित्सा मानक	सामान्य स्वास्थ्य	दृष्टि मानक
1	बी-1	सभी प्रकार से शारीरिक रूप से स्वस्थ	i) दूर दृष्टि: 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के (लेंस की शक्ति 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए), ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के जब पढ़ने या नज़दीक से काम करने की आवश्यकता हो, और iii) रंगीन दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, रात्रि दृष्टि और मध्यदर्शी दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा
2	सी-1	सभी प्रकार से शारीरिक रूप से स्वस्थ	i) दूर दृष्टि: 6/12, 6/18 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के ii) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के जब पढ़ने या नज़दीक से काम करने की ज़रूरत हो
3	सी-2	सभी प्रकार से शारीरिक रूप से स्वस्थ	i) दूर दृष्टि: 6/12, शून्य चश्मे के साथ या बिना चश्मे के ii) निकट दृष्टि: एसएन. 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के संयुक्त जहाँ पढ़ने या नज़दीक से काम करने की आवश्यकता हो

नोट:

(ए) उपरोक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक हैं तथा संपूर्ण नहीं हैं और सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। उम्मीदवारों को भारतीय रेल मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम(आईआरएमएम)- भाग I के अध्याय 5 को पढ़ने की सलाह दी जाती है जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से फिट और पात्र हैं।

(बी) लैसिक सर्जरी वाले उम्मीदवार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन चिकित्सा मानक B1 के लिए पात्र हो सकते हैं: 1) उम्मीदवार में लैसिक सर्जरी से संबंधित कोई जटिलता नहीं देखी गई है। 2) लैसिक सर्जरी की अवधि कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए और इसकी पुष्टि उस संस्थान के विशेषज्ञ द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र से होनी चाहिए जहाँ सर्जरी की गई थी। 3) लैसिक सर्जरी के बाद "अवशिष्ट कॉर्नियल मोटाई" पैचीमेट्री पर 425 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। 4) आईआरएमएम, खंड I, तृतीय संस्करण 2000 के पैरा 512(1)(A) के अनुसार दृश्य तीक्ष्णता। 5) फंडस सामान्य होना चाहिए। 6) प्रगतिशील नेत्र रोग का कोई प्रमाण नहीं हो।

(सी) भारतीय रेल मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 में विस्तृत रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न चिकित्सा मानक लागू होंगे, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

(डी) भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (Indian Railway Medical Manual - IRMM), खंड-I के पैरा 511(7) में वर्णित दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) हेतु चिकित्सीय मानकों का अवलोकन निम्नलिखित लिंक पर किया जा सकता है:

<https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MMVol-I/Chapter5.pdf>

(ई) यदि अभ्यर्थी पद(पदों) के लिए निर्धारित चिकित्सा योग्यता/मानक को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे पद(पदों) के लिए पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा तथा रेलवे द्वारा कोई वैकल्पिक नियुक्ति भी नहीं दी जाएगी।

(एफ) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के दौरान पद(पदों) के लिए आवश्यक चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करके, निर्धारित शर्तों के साथ, चिकित्सा अपील करने का एक अंतिम अवसर दिया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प चुना है, उनके चिकित्सा परीक्षण का परिणाम अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय के भीतर चिकित्सा अपील का विकल्प नहीं चुना है, केवल उनके प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण के परिणाम पर ही विचार किया जाएगा।

4.0 राष्ट्रीयता/ नागरिकता:

- (a) अभ्यर्थी को निम्न में से कोई एक होना चाहिए:
- भारत का नागरिक हो, या
 - नेपाल का नागरिक हो, या
 - भूटान का नागरिक हो, या
 - भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवास कर आया हो।
 - बशर्ते कि उपर्युक्त श्रेणी (ii), (iii) और (iv) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
- (b) जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.0 आयु सीमा: रिक्ति तालिका में किसी विशेष पद के लिए दर्शाई गई न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना 01.01.2027 के अनुसार की जाएगी।

5.1 अभ्यर्थियों की जन्मतिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियां सम्मिलित)

क्रम सं.	आयु वर्ग	निम्न आयु सीमा 01-01-2027 (पश्चात जन्मतिथि अमान्य)	ऊपरी आयु सीमा 01-01-2027 (पूर्व की जन्मतिथि अमान्य)		
		सभी समुदायों/श्रेणियों के लिए	UR/EWS	OBC-NCL	SC/ST
1	18-33	01.01.2009	02.01.1994	02.01.1991	02.01.1989
2	19-33	01.01.2008	02.01.1994	02.01.1991	02.01.1989
3	20-33	01.01.2007	02.01.1994	02.01.1991	02.01.1989
4	21-30	01.01.2006	02.01.1997	02.01.1994	02.01.1992
5	20-35	01.01.2007	02.01.1992	02.01.1989	02.01.1987
6	20-40	01.01.2007	02.01.1987	02.01.1984	02.01.1982

5.2 आयु सीमा में छूट:- नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन लागू है।

क्र. सं.	समुदाय / श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा में छूट / अधिकतम ऊपरी आयु
1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवार	3 वर्ष
3	पूर्व सैनिक(एक्स सर्विसमैन) उम्मीदवार जिन्होंने सत्यापन के बाद कम से कम छह माह की निरंतर सेवा पूरी कर ली है	भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस)
		भूतपूर्व सैनिक (ओबीसी-एनसीएल)
		भूतपूर्व सैनिक (अजा एवं अजजा)
4	बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	पीडब्ल्यूबीडी - अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस
		पीडब्ल्यूबीडी - ओबीसी (एनसीएल)
		पीडब्ल्यूबीडी - अजा एवं अजजा

5	वे अभ्यर्थी जो रेल में ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा के साथ कार्यरत हैं, साथ ही ऐसे स्थानापन्न भी हैं जिन्होंने रेल में लगातार या खंडित अवधि में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है।	अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस	40 वर्ष की आयु
		ओबीसी (एनसीएल)	43 वर्ष की आयु
		अजा एवं अजजा	45 वर्ष की आयु
6	उम्मीदवार जो रेल संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेल कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत है		प्रदान की गई सेवा अवधि तक या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो।
7	महिला उम्मीदवार, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है	अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस	35 वर्ष की आयु
		ओबीसी (एनसीएल)	38 वर्ष की आयु
		अजा एवं अजजा	40 वर्ष की आयु
i)	यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आधारों पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे उन छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वह पात्र है (संचयी नहीं)।		
ii)	अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन - क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को कोई आयु छूट नहीं मिलेगी।		
iii)	अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल पीडब्ल्यूबीडी (यूआर) के लिए लागू आयु में छूट दी जाएगी - उपयुक्तता की शर्तों के अधीन।		
iv)	पीडब्ल्यूबीडी और पूर्व सैनिक(एक्स सर्विसमैन) उम्मीदवारों को आयु में छूट उपरोक्त पैरा 5.2 के अनुसार दी जाएगी		

5.3 महत्वपूर्ण: उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्म तिथि उनके मेट्रिकुलेशन/एसएसएलसी/दसवी पास या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि के समान होनी चाहिए। जन्म तिथि में बदलाव के लिए किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि में कोई भी अंतर **उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगा।**

6.0 शैक्षणिक योग्यता:

- (ए) कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए पद पैरामीटर (अनुलग्नक 'ए') देखें।
- (बी) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात 14.10.2026) तक अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सीईएन में निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यताएँ होनी चाहिए।
- (सी) जो अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

नोट: शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता प्रमाणपत्रों जैसे कि प्रोविजनल या नियमित प्रमाणपत्रों में जारी करने की तिथि होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की तिथि अधिसूचना की अंतिम तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा की घोषणा की तिथि के साथ समेकित अंक पत्र या प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष के परिणाम की घोषणा की तिथि के साथ सभी सेमेस्टर/वर्षों की अलग-अलग अंक पत्रक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यदि इनमें से किसी भी प्रमाणपत्र में तिथि उपलब्ध नहीं है, तो इस आशय का बोर्ड/विश्वविद्यालय से परिणाम की घोषणा की तिथि दर्शाने वाला प्रमाणपत्र डीवी के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7.0 परीक्षा शुल्क: अभ्यर्थियों को अपने समुदाय/श्रेणी के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

क्र.सं.	उम्मीदवारों के समुदाय / श्रेणियाँ	शुल्क
1	सभी उम्मीदवारों के लिए । 500/- रुपये के इस शुल्क में से, सीबीटी में उपस्थित होने पर, बैंक शुल्क काटकर 400/- रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी।	रु.500/-
2	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए। (उम्मीदवारों के लिए सावधानी: ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए) 250 रुपये का यह शुल्क सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिया जाएगा।	रु.250/-
नोट: केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी।		

*ईबीसी श्रेणी के अंतर्गत रियायत का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: कृपया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) श्रेणी के अंतर्गत रियायत का दावा करने से पहले इस सीईएन के पैरा 7.3 को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रियायती शुल्क चाहने वाले उम्मीदवारों

के पास आवेदन भरते समय वैध दस्तावेज़ - जैसे ईबीसी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक III ए) या बीपीएल कार्ड या इज़्जत एमएसटी या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई भी प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रासंगिक विवरण दर्ज करना होगा और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय उन्हें मूल रूप में जमा करना होगा।

ईबीसी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक IIIA), बीपीएल कार्ड, या इज़्जत एमएसटी या केंद्र सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी प्रमाणपत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि, अर्थात् 14.10.2026 के बाद जारी किया गया हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस सीईएन के विरुद्ध आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी किया गया वैध दस्तावेज़—जैसे ईबीसी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक IIIए), बीपीएल कार्ड, या इज़्जत एमएसटी - प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

7.1 शुल्क भुगतान के तरीके:

- ए) केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- बी) उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।
- सी) निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल होंगे, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (14.10.2026) तक प्राप्त संशोधन/हटाने/समावेश के अधीन होंगे।

'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' के लिए शपथ पत्र: परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को अनुलग्नक V के प्रारूप में डीवी के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है और वे रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (ऊपर पैरा 7.0 के अनुसार)। इसके लिए उनके पास होना चाहिए।

- ए) जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक IIIए के अनुसार) में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोक सभा के वर्तमान संसद सदस्य
- (3) राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य, उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।
- (4) देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केन्द्रीय मंत्री।

या

- बी) बीपीएल कार्ड या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र
- या

- सी) रेल द्वारा जारी इज़्जत एमएसटी।

सभी ईबीसी उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र/ बीपीएल कार्ड / इज़्जत एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए और इसे डीवी के समय मूल रूप में भी प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं। इस अनुच्छेद के तहत परिभाषित आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का उम्मीदवार केवल शुल्क में छूट का हकदार है, नौकरी में आरक्षण का नहीं।

7.4 परीक्षा शुल्क की वापसी (सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए):

- (ए) जहाँ लागू हो, परीक्षा शुल्क की वापसी (लागू बैंक प्रभागों की कटौती के उपरांत) केवल अभ्यर्थी के आधार संख्या से जुड़े बैंक खाते में ही की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी आधार संख्या का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन सफल होने पर, आधार से पहले से जुड़ा बैंक खाता पुष्टि हेतु स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसका उपयोग परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि आधार से जुड़ा कोई बैंक खाता उपलब्ध नहीं पाया जाता

है, तो अभ्यर्थी को एनपीसीआई (NPCI) पोर्टल पर वास्तविक समय (रियल टाइम) में आधार-बैंक खाता लिंक करने हेतु पुनर्निर्देशित किया जाएगा। लिंकिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी पुनः आवेदन पृष्ठ पर वापस आएगा, जहाँ वह शेष आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेगा। जिन अभ्यर्थियों का अपना बैंक खाता नहीं है, वे उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने परिवार के किसी सदस्य के आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण उपलब्ध करा सकते हैं।

(बी) जिन अभ्यर्थियों का आवेदन अपूर्ण है, जिन्होंने अपना आवेदन अंतिम रूप से जमा नहीं किया है अथवा जिनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, उनके द्वारा जमा किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(सी) वैध एवं आधार से जुड़े चालू बैंक खाते के साथ लिंक सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। गलत, अमान्य अथवा गैर-संचालित बैंक खाते के लिंक के कारण उत्पन्न किसी भी पत्राचार अथवा दावे पर रेल भर्ती बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(डी) जिन मामलों में आवेदन निरस्त कर दिया गया हो अथवा अभ्यर्थी द्वारा लिंक किया गया आधार से जुड़ा बैंक खाता गैर-संचालित पाया गया हो, ऐसे मामलों में परीक्षा शुल्क की वापसी स्वीकार्य नहीं होगी।

8.0 लंबवत आरक्षण:

8.1 यह केंद्रीय रोजगार सूचना (CEN) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) (OBC-NCL) के लिए लंबवत आरक्षण प्रदान करती है, जहाँ भी लागू और स्वीकार्य हो, और जैसा कि मौजूदा नियमों के तहत इंडेंटिंग रेलवे द्वारा सूचित किया गया है। (रिक्तियों की तालिका में विवरण देखें।)

नोट:

- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं हैं बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियाँ हैं।
- ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जहाँ भी लागू और स्वीकार्य हो, नौकरी आरक्षण के लिए पात्र हैं।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार (उपरोक्त पैरा 7.3 के तहत परिभाषित) इस आधार पर नौकरी में आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

8.2 सभी उम्मीदवारों, चाहे वे किसी भी समुदाय के हों, को सामान्य अर्थात् अनारक्षित (अनारक्षित) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (अनारक्षित के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन)। हालाँकि, विशिष्ट समूहों (जैसे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित रिक्तियाँ केवल उसी समुदाय/श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएँगी। केवल वे समुदाय जिन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) के रूप में मान्यता प्राप्त है, आरक्षण के लिए पात्र हैं।

8.3 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) (ओबीसी-एनसीएल) उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करने होंगे। ये प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुलग्नक I (एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए), अनुलग्नक II (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और अनुलग्नक III (ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूपों के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

8.4 "क्रीमी लेयर" में आने वाले ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित (अनारक्षित) उम्मीदवार माना जा सकता है, बशर्ते कि वे अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए लागू आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

8.5 "ओबीसी श्रेणी" के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक II) में 01 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद जारी किया गया ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पश्चात नहीं। प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि और प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की जानी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवार की जाति ओबीसी की वर्तमान अद्यतन केंद्रीय सूची (<http://www.ncbc.nic.in>) में सूचीबद्ध होनी चाहिए।

दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के दौरान, आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी उम्मीदवार को ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और अनुलग्नक II में दिए गए प्रारूप में एक स्व-घोषणा भी देनी

होगी, जिसमें कहा गया हो कि वे "आवेदन की अंतिम तिथि तक क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं"। ऐसा न करने पर उनका आरक्षण का दावा (ओबीसी-एनसीएल के रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उन्हें अनारक्षित (UR) उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते कि वे UR उम्मीदवारों पर लागू आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

- 8.6 ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि "यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के कार्यालय जापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है और भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय जापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(निवास) द्वारा संशोधित" (*इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कोई और संशोधन, यदि कोई हो)।
- 8.7 कृपया ध्यान दें: राज्य सूची में मौजूद ओबीसी, लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं (<http://www.ncbc.nic.in> पर नवीनतम सूची के अनुसार) आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं।
- 8.8 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1052/2021, सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के बीच, दिनांक 21.02.2022 के के आलोक में, वे उम्मीदवार जो (ए) मूल रूप से लोहार/लोहारा/लोहरा जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य से संबंधित हैं या बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें अपनी नवीनतम जाति प्रस्तुत करनी चाहिए (जो (ए) एसटी का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म-II के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक-I के अनुसार है या (बी) ओबीसी-एनसीएल का दावा करने के लिए बिहार सरकार के फॉर्म- VIIए के संदर्भ में सीईएन के अनुलग्नक-II के अनुसार है) जमा करनी चाहिए जो 01.04.2023 के बाद ही जारी की गई हो और साथ ही यह आवेदन पत्र में उल्लिखित एसटी/ओबीसी-एनसीएल के रूप में उनके दावे को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर मान्य होनी चाहिए।
- 8.9 डॉ भीमराव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य और अन्य के बीच सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या 18802/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, दिनांक 15.07.2024 का निर्णय, जिन उम्मीदवारों के पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले जारी एसटी/एससी का समुदाय प्रमाण पत्र है और साथ ही (ए) मूल रूप से पान/पनहर/स्वासी/तांती-तंतवा (तांती-तंतवा) जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य के हैं या केवल बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें नवीनतम जाति प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करना चाहिए जो 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किया गया हो, जिसमें उनके समुदाय और जाति को संशोधित/जोड़ दिया गया हो। उनके समुदाय और जाति/जनजाति को उनकी संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार भर्ती के लिए विचार किया जाएगा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय 01.09.2024 को या उसके बाद लिया गया नया जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा, अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी के तहत माना जाएगा।
- 8.10 **महत्वपूर्ण:** किसी उम्मीदवार की ऑनलाइन आवेदन में घोषित समुदाय या श्रेणी की स्थिति, आरक्षण लाभों के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करेगी। किसी भी कारण से समुदाय की स्थिति में बाद में होने वाले किसी भी परिवर्तन को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।
- 8.11 यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की ज़िम्मेदारी है कि वे जिस आरक्षण का दावा कर रहे हैं, उसके लिए वे पात्र हैं। उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं हो जाती।
- 8.12 उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि किसी भी स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की स्थिति का कोई भी धोखाधड़ीपूर्ण दावा या किसी अन्य लाभ का दुरुपयोग सामने आता है, तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी। ऐसी कार्रवाइयों के लिए कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 8.13 **ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण:**
वे उम्मीदवार एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है। ओबीसी- सीएल उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस के लाभ का दावा नहीं कर सकते। आय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से होने वाली आय

भी शामिल होगी। चूँकि इस सीईएन सं. 05/2026 के आवेदन की अंतिम तिथि 14.10.2026 है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 होगा। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा, भले ही पारिवारिक आय कुछ भी हो:

- i. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
- ii. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे। ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

- ए) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- बी) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- सी) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
- डी) उस क्षेत्र का उपविभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य भरना होगा। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन, यदि वे सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।

9.0 क्षैतिज आरक्षण:

- 9.1 यह सीईएन पूर्व सैनिकों (एक्सएसएम) और पीडब्ल्यूबीडी के लिए चाहे वे किसी भी समुदाय से हो, क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान करता है।
- 9.2 रिक्ति तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं। हालाँकि, जहाँ दिव्यांग के लिए रिक्तियों को बैकलॉग रिक्तियों (समुदाय के किसी भी संकेत के बिना) के रूप में अलग से दिखाया गया है, ये अतीत की बैकलॉग रिक्तियाँ हैं और इस सीईएन में दर्शाई गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में शामिल नहीं हैं।
- 9.3 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।
- 9.4 इसी प्रकार, दिव्यांग उम्मीदवार किसी पद की नियमित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही उस पद के लिए उनके लिए कोई विशेष रिक्तियाँ आरक्षित न हों, बशर्ते कि वह पद उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त हो। ऐसे मामलों में, वे केवल आयु में छूट और शुल्क में छूट के लिए ही पात्र रहेंगे।
- 9.5 यदि दिव्यांगता की उस श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से दिव्यांग(PwBD) के लिए आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकती हैं, तो ऐसी रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी और उन्हें बैकलॉग रिक्ति के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।
- 9.6 **नोट:** हालाँकि, इस सीईएन में दर्शाई गई बैकलॉग रिक्तियों के लिए, यदि किसी विशिष्ट दिव्यांगता वाले PwBD उम्मीदवार (जिनके लिए बैकलॉग रिक्तियां निर्धारित हैं) उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें अन्य दिव्यांगता वाले PwBD उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है, जिनके लिए पद उपयुक्त हो। इसके बाद, किसी भी तरह के दिव्यांगता वाले दिव्यांग उम्मीदवार (जिसके लिए पद उपयुक्त के रूप में पहचाना गया है) की अनुपलब्धता की स्थिति में, रिक्त बैकलॉग रिक्तियों को योग्यता के क्रम में उस सीमा तक नियमित (गैर-दिव्यांग) उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

10.0 भूतपूर्व सैनिक

- 10.1 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (चाहे

लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) में सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना और अर्धसैनिक बल सेवा की हो।

और

- ए) जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या सेवामुक्त हो गया है, चाहे वह उसके स्वयं के अनुरोध पर हो या नियोक्ता द्वारा उसकी पेंशन अर्जित करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो; (या)
- बी) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; (या)
- सी) जिसे स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)
- डी) जिसे नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, उनके स्वयं के अनुरोध के अलावा, या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और जिसे ग्रेजुटी दी गई हो और जिसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सेवा या योग्यता सेवा के खंडित अवधि के लिए पेंशन धारक; (या)
- इ) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त किए गए हैं उनके नियंत्रण से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई; (या)
- एफ) वे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पूर्व छह माह से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; (या)
- जी) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (या)
- एच) चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त या सेवामुक्त किए गए भूतपूर्व भर्ती कर्मी जिन्हें 01.02.2006 से चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई है।

- 10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत वे व्यक्ति, जो सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक बर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं होगी जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते। तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कर्मी, जो इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त हो जाते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित नहीं किए गए, दोनों पदों के लिए। यदि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा कि वह स्वयं इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्त हुआ है, अर्थात्, दस्तावेज सत्यापन की तिथि तक, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, उनके पास इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ होनी चाहिए।
- 10.3 सशस्त्र सेवा कार्मिक जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र बलों में सेवारत रहे हैं, उन्हें अनुलग्नक VI (ए) के अनुसार "सेवा से सेवामुक्ति की संभावित तिथि सहित रोजगार प्रमाण पत्र" जमा करना होगा, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य है। इसके अलावा, पूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए, दस्तावेज सत्यापन के समय सभी को अनुलग्नक VI के अनुसार एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 10.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग'/पूर्ववर्ती समूह 'घ' में उच्च ग्रेड या संवर्ग में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में केवल छूट का लाभ मिलेगा। ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 10.5 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल नौकरी में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी आगामी नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, बशर्ते कि भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल नौकरी में शामिल होते ही, इस CEN के अंतर्गत आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनपत्र दे। इस घोषणा की पावती प्रति, सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के साथ, दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

10.6 भूतपूर्व सैनिकों का चिकित्सा मानक भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534 के अनुसार होगा, जिसे www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

11.0 मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) :

11.1 प्रत्येक पद के सामने, "मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के अंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को दर्शाया गया है, जिसमें पद पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) में उप दिव्यांगता का विवरण दिया गया है।

मानक (बेंचमार्क) दिव्यांगता:- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूबीडी) अधिनियम, 2016 (19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी) के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगताएं निम्नानुसार हैं:-

(ए) अंधापन और कम दृष्टि (वीआई);

(बी) बधिर और कम सुनने की क्षमता (एचआई);

(सी) मस्तिष्क पक्षाघात(एलडी), ठीक हो चुके कुछ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्बिकास सहित चलने-फिरने में अक्षमता;

(डी) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;

(ई) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचाने गए पदों में बहरापन-अंधापन सहित खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक दिव्यांगताएं (एमडी)।

11.2 निर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा इस प्रकार है:

1. शारीरिक अक्षमता:

अ) गति-संबंधी अक्षमता (किसी व्यक्ति की स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता जो मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों के विकार के कारण होती है), जिसमें शामिल हैं-

(ए) "कुछ रोग से मुक्त व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुछ रोग से मुक्त हो गया है, लेकिन निम्न से पीड़ित है-

(i) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आँख और पलक में संवेदना की हानि और पक्षाघात, लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;

(ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, लेकिन हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;

(iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति और साथ ही वृद्धावस्था जो उसे कोई भी लाभदायक व्यवसाय करने से रोकती है, और "कुछ रोग से मुक्त" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(बी) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी स्थितियों का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है;

(सी) "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(डी) "मांसपेशी दुर्बलता" का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को गति देने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीवन सूचना का अभाव और गलत जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। इसकी विशेषता प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है।

(ई) "एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

(एफ) रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई) बिना किसी तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के। एसडी/एसआई वाले व्यक्ति बिना तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के, लोकोमोटर दिव्यांगता के अंतर्गत दिव्यांगता की सभी उप-श्रेणियों के लिए उपयुक्त हैं। एसडी/एसआई वाले व्यक्ति जिनके साथ अंग संबंधी शिथिलता है, उन्हें लोकोमोटर दिव्यांगता की संबंधित उप-श्रेणी के अंतर्गत कवर किया जाएगा, अर्थात् ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए, जैसा भी मामला हो।

ब) दृष्टि क्षीणता -

(ए) "अंधापन" का अर्थ ऐसी स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति में सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो -

(i) दृष्टि का पूर्ण अभाव; या

- (ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (सेलन) से कम; या
- (iii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 10 डिग्री से कम का कोण बनाती है।
- (बी) "कम दृष्टि" से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहाँ किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्: -
 - (i) बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम या 3/60 तक या 10/200 (सेलन) तक हो, जिसमें सर्वोत्तम संभव सुधार हो; या
 - (ii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम या 10 डिग्री तक का कोण बनाती हो।

स) श्रवण बाधिता-

- (ए) "बधिर" का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि है;
- (बी) "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी तक सुनने की क्षमता में कमी हो।

द) "वाक् और भाषा दिव्यांगता" का अर्थ है स्वरयंत्र उच्छेदन या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न स्थायी दिव्यांगता जो जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक् और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. **बौद्धिक दिव्यांगता**, एक ऐसी स्थिति जो बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखना, समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता रखती है, जो दैनिक, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला को कवर करती है, जिसमें शामिल हैं-

(अ) "विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता" का अर्थ है स्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें ऐसी स्थितियाँ शामिल हैं अवधारणात्मक अक्षमताएँ, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात;

(ब) "ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार" का अर्थ है एक तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

3. **मानसिक व्यवहार-"मानसिक बीमारी"** का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक गंभीर विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से क्षीण कर देता है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता की विशेषता।

4. दिव्यांगता के कारण -

(अ) दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, जैसे -

- (i) "मल्टीपल स्क्लेरोसिस" का अर्थ है एक सृजनयुक्त, तंत्रिका तंत्र रोग जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों ओर स्थित माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे माइलिन का विघटन होता है और मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिकाओं की एक-दूसरे से संवाद करने की क्षमता प्रभावित होती है;
- (ii) "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग जो कंपन, मांसपेशियों में अकड़न और धीमी, अस्पष्ट गति से चिह्नित होता है, जो मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया के अधःपतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़ा होता है।

(ब) रक्त विकार -

- (i) "हीमोफीलिया" का अर्थ है एक वंशानुगत रोग, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं द्वारा अपने पुरुष बच्चों में संचारित होता है, जिसमें रक्त के सामान्य थक्के जमने की क्षमता में कमी या कमी होती है जिससे एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;
- (ii) "थैलेसीमिया" का अर्थ है वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती है।
- (iii) "सिकल सेल रोग" का अर्थ है एक रक्तसंलायी विकार जिसमें दीर्घकालिक रक्ताल्पता, दर्दनाक घटनाएँ और संबंधित ऊतक एवं अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताएँ होती हैं; "रक्तसंलायी" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन का स्राव होता है।

5. **बहु-दिव्यांगताएँ** (उपर्युक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से एक से अधिक) जिनमें बहुरापन, अंधापन शामिल है, जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में श्रवण और दृश्य हानि का संयोजन हो सकता है जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक, और शैक्षिक समस्याएँ हो सकती हैं। बहु-दिव्यांगता (एमडी) श्रेणी के अंतर्गत, केवल व्यक्तिगत दिव्यांगताओं के संयोजन वाले उम्मीदवार ही पद के लिए पात्र हैं जो स्वतंत्र रूप से पात्र हैं।

6. कोई अन्य श्रेणी जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हो।

11.3 **आरक्षण के लिए बेंचमार्क अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:** आरक्षण हेतु बेंचमार्क दिव्यांगता की सीमा तथा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी : केवल वे ही व्यक्ति, जिनमें संबंधित बेंचमार्क दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, पदों में आरक्षण एवं अन्य रियायतों का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

वे बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) जिन्होंने आरक्षण और/या रियायत का लाभ प्राप्त किया है तथा दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उन्हें दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 के अंतर्गत दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 की राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) के नियम 18(1) के प्रपत्र-V एवं प्रपत्र-VI के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूपों के लिए अनुलग्नक-V(ए) एवं अनुलग्नक-V(बी) देखें।

दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (जिसे अब निरस्त किया जा चुका है) के अंतर्गत जारी किए गए वर्तमान दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, उनमें उल्लिखित वैधता अवधि तक मान्य रहेंगे।

- 11.4 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (PwBD) ध्यान दें कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार उपयुक्त PwBD उप-श्रेणी, अर्थात् LD/HI/VI/MD का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में PwBD उप-श्रेणी में बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन पत्र में घोषित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र, अपनी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-DDIII दिनांक 04.01.2021 में दर्शाए गए दिव्यांगता/दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे OA, OL, BL, OAL, DW, AAV, SD, SI आदि) का प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, डीईपीडब्ल्यूडी (DePwD) के दिनांक 17.12.2025 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, अस्थायी दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत "सुधार की संभावनावाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थी आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। वहीं, जिन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता "प्रगतिशील (Progressive)", "अप्रगतिशील (Non-Progressive)" अथवा "सुधार की संभावना नहीं (Not Likely to Improve)" श्रेणी में आती है, उन्हें आरक्षण हेतु पात्र माना जाएगा।

- 11.5 चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन के समय रेल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा और केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली और अन्य मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप हों।

- 11.6 जब रिक्तियाँ दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हों और दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक श्रेणी, जैसे कि अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग-असहाय वर्ग, के न्यूनतम अर्हक प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ण पैल नहीं बनाया जा सकता है, तो समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंकों में 2 अंक तक की छूट दी जाएगी।

11.7 स्क्राइब की सहायता की सहायता और प्रतिपूरक समय के लिए दिशानिर्देश :

- 11.7.1 दृष्टिहीनता, गति-संचालन दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - BA) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति ऐसा चाहे तो उसे स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- 11.7.2 मानक दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, स्क्राइब की सुविधा की अनुमति किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। अभ्यर्थी अनुलग्नक V(एफ) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(सी) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

- 11.7.3 40% से कम दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते) और लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन भी अनुलग्नक V(डी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(ई) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद परीक्षा केंद्र पर अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

- 11.7.4 सभी एक-आंख वाले उम्मीदवार और जिन उम्मीदवारों की दृश्य दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

- 11.7.5 उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 या 11.7.3 के तहत स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवार और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।

- 11.7.6 पात्र स्क्राइब को अपने खर्चे पर स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

- 11.7.7 जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है:

- a) यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब रे.भ.बो.apply.gov.in पर रे.भ.बो. के साथ पंजीकृत है (कृपया स्क्राइब के पंजीकरण से संबंधित पैरा 11.7.8 देखें)

- b) संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद उपलब्ध 5-दिवसीय अवधि के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग ऑन करें, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके।
- c) अपने स्क्राइब का वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) नंबर दर्ज करें। आपके स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- d) स्क्राइब की पुष्टि के लिए स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।

11.7.8 स्क्राइब के लिए पंजीकरण:

- a) कोई भी व्यक्ति जो अपने खाते के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके स्वयं को स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहता है, उसे रे.भ.बो. apply.gov.in पर रे.भ.बो. के साथ एक खाता बनाना होगा और पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, एक पंजीकरण संख्या (ओटीआर नंबर) जनरेट की जाएगी और इसे स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।
- b) जो उम्मीदवार उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में वर्णित अनुसार स्क्राइब के लिए पात्र हैं और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा। जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है, उन्हें संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की जाने वाली पाँच दिवसीय अवधि के दौरान अपना स्क्राइब विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और स्क्राइब का ओटीआर नंबर दर्ज करना होगा। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवार को स्क्राइब से यह ओटीपी प्राप्त करना होगा और स्क्राइब की पुष्टि के लिए इसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
- c) अभ्यर्थी के साथ आने वाले स्क्राइब को एक अलग ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के दौरान इस्तेमाल किया गया मूल और वैध पहचान प्रमाण साथ लाना होगा।

11.7.9 किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए:

- ए) कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के योग्य है/हैं। कोई भी उम्मीदवार जो ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के योग्य नहीं है, और ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का उपयोग करता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्क्राइब का उपयोग करने वाले किसी भी उम्मीदवार को, यदि वह पहले से ही रेल सेवा में शामिल हो चुका है, बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।
- बी) कोई भी व्यक्ति रे.भ.बो. apply.gov.in पर रे.भ.बो. के साथ स्क्राइब के रूप में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य करेगा/करेगी।
- सी) एक स्क्राइब एक ही परीक्षा में एक से अधिक उम्मीदवारों को सहायता नहीं देगा/देगी।
- डी) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार उसी सीईएन में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता/सकती। स्क्राइब और उम्मीदवार दोनों को इस आशय का एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने उसी परीक्षा के लिए स्क्राइब के रूप में किसी अन्य उम्मीदवार की सहायता की है, तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- ई) अभ्यर्थी के स्वयं के स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।
- एफ) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्राइब के संबंध में दी गई जानकारी सही हो। यदि परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाया है और स्क्राइब प्रतिरूपणकर्ता पाया जाता है और/या स्क्राइब या अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है, तो अभ्यर्थी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, और उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
- जी) परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा लाए गए स्क्राइब के किसी भी कदाचार के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- एच) परीक्षा के दौरान, किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं प्रश्नों का उत्तर दे रहा है/हल कर रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी, जो स्क्राइब की सेवाएँ ले रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षा प्रशासक कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं।
- आई) परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब का परिवर्तन:--

- परीक्षा स्थल पर स्क्राइब के परिवर्तन की सामान्यतः अनुमति नहीं है। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, विधिवत कारण दर्ज करके परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है। नए स्क्राइब को रे.भ.बो. में स्क्राइब के रूप में

पंजीकृत होना चाहिए, और एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) प्रिंटआउट की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, नए स्क्राइब को पैरा 11.7.9 के तहत स्क्राइब के लिए लागू अन्य सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को "स्क्राइब परिवर्तन" फॉर्म और 'स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र' फॉर्म में विवरण भरना होगा।

- यदि ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं, तो रे.भ.बो. अपने विवेक से एक स्क्राइब नियुक्त कर सकता है, बशर्ते उम्मीदवार अभी भी स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो। रे.भ.बो. द्वारा प्रदान की गई स्क्राइब की योग्यता सीईएन की न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होगी।

11.7.10. पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अनुसार, स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के पात्र अभ्यर्थी, यदि चाहें तो स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय का लाभ उठा सकते हैं।

- a) उपर्युक्त पैराग्राफों में निर्दिष्ट अनुसार, स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।
- b) पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अभ्यर्थी, जो स्क्राइब के उपयोग के पात्र हैं, लेकिन इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें भी परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जा सकता है, यदि वे चाहें।

11.7.11. स्क्राइब की नियुक्ति संबंधी शर्तें, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी।

12.0 वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी):

रेल या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि से गुजर रहे उम्मीदवारों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे रे.भ.बो. को आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/पैनलीकरण/नियुक्ति के दौरान/उस समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना उम्मीदवार की पूर्णतः जिम्मेदारी है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी/पैनलीकरण/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी।

नोट: अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि संबंधित रे.भ.बो. को उनके नियोक्ता से कोई पत्र प्राप्त होता है, जिसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवेदन करने/उसमें सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।

13.0 भर्ती प्रक्रिया:

- (ए) उम्मीदवार को रे.भ.बो. के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (बी) सभी अधिसूचित श्रेणियों के लिए सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षण) होगा इसके पश्चात दस्तावेज़ सत्यापन होगा। हालाँकि, यदि रे.भ.बो. सभी या सीमित संख्या में उम्मीदवारों के लिए आवश्यक समझे तो अतिरिक्त सीबीटी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (सी) सीबीटी/ऑनलाइन परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, केंद्र और स्थान रे.भ.बो. द्वारा तय किया जाएगा और योग्य उम्मीदवारों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा स्थगित करने और केंद्र/स्थल बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (डी) सिंगल स्टेज सीबीटी के लिए प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों के लिए 90 मिनट की अवधि का होगा और PwBD/PWD उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट की अवधि का होगा जो स्क्राइब सुविधा के लिए पात्र हैं।
- (ई) प्रश्न पत्र चार विकल्पों के साथ वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इन चार विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर होगा।
- (एफ) सिंगल स्टेज सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) के लिए प्रश्नों का स्तर आम तौर पर पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक स्तरों और/या न्यूनतम व्यावसायिक/तकनीकी योग्यताओं के अनुरूप होगा। प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इसमें व्यावसायिक क्षमता (अनुलग्नक-सी में पाठ्यक्रम), सामान्य जागरूकता, अंकगणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है।

(जी) खण्ड-वार अंक: खण्ड-वार प्रश्नों की संख्या और अंक नीचे विस्तृत हैं:

विषय	प्रश्नों की संख्या	प्रत्येक अनुभाग के लिए अंक
व्यावसायिक क्षमता	70	70
सामान्य जागरूकता	10	10
सामान्य अंकगणित, सामान्य बुद्धि और तर्क	10	10
सामान्य विज्ञान	10	10
कुल	100	100
उपर्युक्त तालिका में विषय / अनुभाग-वार वितरण केवल सांकेतिक है। प्रश्न-पत्रों में विभिन्नता हो सकती है।		

- (एच) सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट/परीक्षा) में नकारात्मक अंकन होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों का 1/3 अंक काटा जाएगा।
- (आई) दस्तावेज़ सत्यापन और पैन्लीकरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर योग्यता के आधार पर की जाएगी, जो उनके समुदायों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करने की शर्त पर होगी। यूआर/ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक 40%, ओबीसी (एनसीओ) और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% है। यह भूतपूर्व सैनिक श्रेणी तथा PwBD के अभ्यर्थियों पर भी उनके समुदाय के अनुसार लागू होती है। दिव्यंगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अंतर्गत PwBD उम्मीदवारों की कमी होने की स्थिति में पात्रता के लिए अंकों में 2 अंकों की छूट दी जा सकती है।
- (जे) सीबीटी परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को मुख्य सूची में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
- (के) समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के मामले में, उनकी योग्यता की स्थिति आयु मापदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी अर्थात्, वृद्ध व्यक्ति को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा और यदि आयु समान है, तो दिए गए नाम (उपनाम नहीं) के वर्णमाला क्रम (ए से जेड) को टाई को तोड़ने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
- (एल) दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और सत्यापन की तिथि पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जन्त कर ली जाएगी।
- (एम) उम्मीदवारों का पैन्ल योग्यता के आधार पर होगा यानी सीबीटी में प्राप्त अंक और दस्तावेज़ सत्यापन के सफल समापन और निर्धारित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर होगा।
- (एन) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेल प्रशासन/रे.भ.बो. द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण होने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- (ओ) भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर, रे.भ.बो. योग्य उम्मीदवारों की पसंद के अनुसार, योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्ति की स्थिति के अधीन, रेल ज़ोन/उत्पादन इकाई आवंटित करेगा। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और पसंद के अनुसार पैन्ल में शामिल कर लिया जाता है, तो वे अगले प्राथमिकता वाले ज़ोन/यूनिट में अपनी वरीयता के लिए विचार किए जाने के अधिकार को खो देंगे। हालाँकि, रे.भ.बो. प्रशासनिक हित में, उम्मीदवारों द्वारा पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, उम्मीदवार द्वारा चुने गए/न चुने गए रेल ज़ोन/यूनिट आवंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।
- (पी) कृपया उम्मीदवारों को ध्यान देना होगा कि रेल भर्ती बोर्ड केवल संबंधित रेल प्रशासन पैन्ल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करता है। नियुक्ति का प्रस्ताव केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है।
- (क्यू) पैन्ल में किसी भी कमी या अन्य अनिवार्यताओं की स्थिति में, रे.भ.बो. को आवश्यकता पड़ने पर, योग्यता सूची में नीचे के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित है। हालाँकि, इससे ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलेगा।

- (आर) **नोट:** - उम्मीदवारों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, उन्हें इसे परीक्षा परिसर के अंदर नहीं लाना चाहिए। यदि किसी भी उम्मीदवार के पास मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या वायरलेस संचार का कोई अन्य साधन चालू या बंद मोड में पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उचित समझी जाने वाली कानूनी कार्रवाई के अलावा उसे रे.भ.बो. परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- (एस) उम्मीदवारों को रे.भ.बो. की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक से शहर और तारीख की सूचनाएं, ई-कॉल लेटर और यात्रा प्राधिकरण (जहां भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- (टी) ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर मॉक/अभ्यास परीक्षण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

14.0 आवेदन कैसे करें:

14.1	गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
14.2	खाता बनाएं
14.2.1	रे.भ.बो. के साथ खाता बनाएं <ul style="list-style-type: none">उम्मीदवारों को पहले नीचे पैरा 16.0 में सूचीबद्ध आधिकारिक रे.भ.बो. वेबसाइट में दिए गए लिंक के माध्यम से इस सीईएन के लिए 'एक खाता बनाना होगा'। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही पिछले रे.भ.बो. सीईएन के लिए खाता बना लिया है, उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए, साथ ही रे.भ.बो. की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक का उपयोग करना चाहिए।खाता निर्माण के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए उनके पास एक सक्रिय व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी होना चाहिए।'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) में बाद में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।इसलिए, उम्मीदवारों को सभी जानकारी सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से दर्ज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खाता बनाने के बाद किसी भी सुधार या संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14.2.2	पहचान प्रमाणीकरण सलाह <ul style="list-style-type: none">उम्मीदवारों को उनके हित में, "खाता बनाएं" प्रक्रिया के दौरान डिजी लॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है।ऐसा करने से भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सत्यापन आसान और तेज़ हो जाएगा।कृपया ध्यान दें कि जो आवेदक वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करना चुनते हैं, उनकी भर्ती के प्रत्येक चरण में काफ़ी कड़ी और विस्तृत जाँच की जाएगी।
14.3	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश <p>a) उम्मीदवारों को इस सीईएन के लिए आवेदन करने हेतु केवल आधिकारिक रे.भ.बो. वेबसाइट पर दिए गए लिंक का ही उपयोग करना होगा। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।</p> <p>b) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरनी होगी और जमा करने से पहले उसे दोबारा जांचना होगा।</p> <p>c) आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे।</p> <p>d) उम्मीदवार को अधिसूचित पद के लिए जोन वरीयता का क्रम में प्रदान करना होगा। उम्मीदवार को उन सभी या किसी भी अधिसूचित किए गए पद के लिए पोस्ट/ज़ोन की प्राथमिकता का क्रम बताना होगा, जिनके लिए वे योग्य और इच्छुक हैं। जिन उम्मीदवारों ने केवल कुछ ही विकल्प चुने हैं, उन पर केवल उन्हीं खास रेलवे ज़ोन और पदों/श्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा जिन्हें उन्होंने चुना है।</p> <p>d) परीक्षा का माध्यम: सीबीटी के प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (अर्थात्, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होंगे। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक माध्यम से अपना परीक्षा माध्यम चुनना होगा। सीबीटी प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे।</p> <p>e) विभिन्न रे.भ.बो. या एक ही रे.भ.बो. में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। इस सीईएन के अंतर्गत किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।</p> <p>f) आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार को पैरा 7.1 में बताए गए परीक्षा शुल्क भुगतान के तरीके को चुनने और भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>महत्वपूर्ण: कृपया इस सीईएन के अंतर्गत जमा किए गए आवेदनों के लिए भुगतान के तरीके की प्रामाणिकता और आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि के बारे में सावधान रहें। भुगतान करते समय अनधिकृत वेबसाइटों से बचें।</p> <p>g) अंत में, शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदक को ईमेल और</p>

	एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।
14.4	<p>आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो कैप्चरिंग</p> <p>आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव तस्वीर लेने के निर्देश:</p> <p>a) उम्मीदवारों को आवेदन करते समय पहले से मौजूद तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>b) आवेदन मॉड्यूल आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव तस्वीर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है।</p> <p>c) लाइव तस्वीर वेबकैम या मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे (स्क्रीन के किनारे वाला कैमरा) से ली जा सकती है।</p> <p>d) पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) के साथ कंट्रास्ट बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करें कि आप गैर श्वेत(non-white) गहरे रंगों के वरियाता देते हुए कपड़े पहने।</p> <p>e) इस उद्देश्य के लिए, उम्मीदवार को आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए और नीचे दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए:</p> <ul style="list-style-type: none"> • तस्वीर लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आँखों के स्तर पर स्थित हो। • कैमरे के ठीक सामने खड़े हो जाएँ और तटस्थ भाव से सीधे आगे देखें। • सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आवेदन मॉड्यूल द्वारा दिखाए गए फ्रेम के भीतर केंद्रित हो। • सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा न तो कैमरे के बहुत पास हो और न ही बहुत दूर, और सिर या चेहरे का कोई भी हिस्सा निर्धारित फ्रेम के बाहर न हो। • फोटो खींचते समय टोपी, मास्क या चश्मा न पहनें। • उम्मीदवार अपनी ली गई फोटो का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और यदि वे छवि से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसे तब तक दोबारा ले सकते हैं जब तक उनका आवेदन जमा न हो जाए। • इन दिशानिर्देशों का पालन न करने वाली तस्वीरों वाले आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य हैं। • भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी की उपस्थिति आवेदन के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ से मेल खानी चाहिए। • कैप्चर किए गए लाइव फोटोग्राफ को निर्धारित मानकों के अनुसार सत्यापन एवं मिलान किया जाएगा। यदि फोटोग्राफ का मिलान नहीं होता है, तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन से अनुलग्नक-VII (आवश्यक घोषणाओं की पुष्टि करने के उपरांत) डाउनलोड करना होगा तथा उसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कराकर, वैध पहचान प्रमाण के रूप में अपलोड करना होगा। <p>महत्वपूर्ण नोट:</p> <p>1.) उम्मीदवारों को पहले से मौजूद मुद्रित या डिजिटल तस्वीर लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी तस्वीर जमा करने पर आवेदन तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p> <p>2.) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए पोर्टल में उपयुक्त छूट उपलब्ध कराई गई हैं। ऐसे अभ्यर्थी, अपनी पात्रता के अनुसार, संबंधित विकल्प का चयन कर सकते हैं।</p>
14.5	<p>ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करने के लिए अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज़ तैयार रखें।</p> <p>निम्नलिखित अपलोड करने की आवश्यकता है</p> <p>1) इस सीईएन के पैरा 14.5.1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में उम्मीदवार के हस्ताक्षर।</p> <p>2) एससी/एसटी प्रमाणपत्र (मुफ्त ट्रेन यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) सीईएन में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पीडीएफ प्रारूप में</p>
14.5.1	<p>उम्मीदवार के हस्ताक्षर: उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> • हस्ताक्षर केवल उम्मीदवार द्वारा ही लिखे जाने चाहिए। • सफेद कागज पर काली स्याही की कलम का प्रयोग करें। • हस्ताक्षर सीधी लिखावट (अर्थात, कर्सिव/जुड़े हुए अक्षरों में) में होने चाहिए, बड़े अक्षरों, बड़े अक्षरों(Not in capital letter) या असंबद्ध अक्षरों में नहीं। हस्ताक्षर स्पष्ट, सुपाठ्य और स्कैन किए गए क्षेत्र में पूरी तरह से दिखाई देने चाहिए।

हस्ताक्षर के लिए विनिर्देश:

- हस्ताक्षरित कागज़ को कम से कम 100DPI के रिज़ॉल्यूशन का उपयोग करके स्कैन करें।
- इमेज फ़ाइल प्रारूप: केवल JPG/JPEG
- फ़ाइल आकार: 30KB और 49KB के बीच
- इमेज आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊँचाई)
- स्कैन किए गए हस्ताक्षर को एप्लिकेशन फ़ॉर्म: बॉक्स पर निर्दिष्ट स्कैन बॉक्स के भीतर रखा जाना चाहिए आकार: 35 मिमी (चौड़ाई) × 20 मिमी (ऊँचाई)। हस्ताक्षर छवि इस बॉक्स के भीतर केंद्रित होनी चाहिए

हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन आवेदनों को अस्वीकार करने के आधार:

सीईएन के लिए उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन और उम्मीदवारी, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में निम्नलिखित हस्ताक्षर-संबंधी आधारों पर अस्वीकार किए जा सकते हैं:

- अभ्यर्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर
- गैर-सफेद पृष्ठभूमि का उपयोग
- हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का उपयोग नहीं
- सीधी लिखावट के बजाय बड़े अक्षरों (BLOCK या CAPITAL) में हस्ताक्षर
- खराब रिज़ॉल्यूशन या अस्पष्ट हस्ताक्षर छवि
- अधूरा या आंशिक रूप से दिखाई देने वाला हस्ताक्षर
- हस्ताक्षर के अलावा कोई अन्य छवि अपलोड करना
- कोई हस्ताक्षर नहीं (रिक्त)
- हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे का निशान

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी हस्ताक्षर छवि भर्ती के किसी भी चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन करती है।

महत्वपूर्ण: आवेदन पर हस्ताक्षर निम्नलिखित के दौरान लिए गए हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए:

- परीक्षाएँ
- दस्तावेज़ सत्यापन (DV)
- चिकित्सा परीक्षा (ME)
- नियुक्ति

टिप्पणी: बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) की कुछ श्रेणियों के ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी दिव्यांगता के कारण हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, उन्हें व्यवहार्यता के अनुसार निम्नलिखित क्रम में किसी एक अंगूठे/अंगुली के निशान की स्कैन की गई छवि अपलोड करने की अनुमति निम्नलिखित क्रम में होगी: बाएँ हाथ का अंगूठा, दाएँ हाथ का अंगूठा, हाथ की कोई भी अंगुली, पैर की कोई भी अंगुली।

14.5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (निःशुल्क रेल यात्रा पास का अनुरोध करने वाले अभ्यर्थियों के लिए)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी जो निःशुल्क रेल यात्रा पास का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित विवरणों के साथ अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी:

- दस्तावेज़ केवल पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए।
- फ़ाइल का आकार 400 केबी से कम होना चाहिए।
- प्रमाणपत्र सुपाठ्य, स्पष्ट और आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए।
- यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक नवीनतम और मान्य प्रमाणपत्र होना चाहिए।

14.6 स्क्राइब की सहायता

i. स्क्राइब सहायता के लिए पात्रता

- दृष्टिहीनता, गति-बाधित दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - बीए), और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी श्रेणियों में मानक

दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी, यदि अभ्यर्थी चाहें तो, स्क्राइब सहायता के लिए पात्र हैं। (कृपया पैरा 11.7.1 देखें)

- मानक दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के लिए, स्क्राइब की सुविधा केवल किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि अभ्यर्थी के पास लिखने की कोई शारीरिक सीमा है और उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। (कृपया पैरा 11.7.2 देखें)

अ) प्रमाण पत्र अनुलग्नक V(एफ) में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।

ब) अनुबंध के अनुसार अंडरटेकिंग का पत्र V (सी) भी परीक्षा केंद्र में जमा किया जाना चाहिए

- 40% से कम दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी (जो RPwDA अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धारा 2(r) के अंतर्गत नहीं आते) और जिन्हें लिखने में कठिनाई हो रही है, वे भी निम्नलिखित शर्तों पर स्क्राइब सहायता प्राप्त कर सकते हैं: (कृपया पैरा 11.7.3 देखें)

ए) अनुलग्नक V(डी) के अनुसार प्रमाण पत्र जमा करना, और

बी) अनुलग्नक V(ई) के अनुसार वचन पत्र परीक्षा केंद्र पर जमा करना।

- एक-आँख वाले अभ्यर्थी और 40% से कम दृष्टिबाधित अभ्यर्थी दृष्टिबाधित नहीं माने जाते।
- स्क्राइब-योग्य PwBD/PWD अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।
- स्क्राइब-योग्य अभ्यर्थियों को अपने खर्चों पर स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

ii. स्क्राइब चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश

- योग्य दिव्यांग उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना चाहिए।
- अपने खर्चों पर स्वयं स्क्राइब की व्यवस्था करें।
- यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब रे.भ.बो.apply.gov.in (पैरा 11.7.8 देखें) पर पंजीकृत हो।
- संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की गई पाँच-दिवसीय अवधि के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके और उसका एकमुश्त पंजीकरण (OTR) नंबर दर्ज किया जा सके। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को स्क्राइब की पुष्टि के लिए यह OTP दर्ज करना होगा।

नोट: किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले, कृपया CEN के पैरा 11.7.9 को पढ़ें ताकि आप लिखित करने के लिए लागू शर्तों/योग्यताओं को समझ सकें।

iii. स्क्राइब के लिए पंजीकरण

- स्क्राइब के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, जो स्क्राइब के लिए पात्र है, रे.भ.बो. पोर्टल पर रे.भ.बो.apply.gov.in पर होमपेज → स्क्राइब पंजीकरण पर जाकर पंजीकरण कराना होगा।
- सफल पंजीकरण के बाद, एक ओटीआर(OTR) नंबर जनरेट किया जाएगा और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
- केवल वैध ओटीआर नंबर वाले पंजीकृत स्क्राइब को ही स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति होगी।

नोट: स्क्राइब को एक अलग ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के समय मूल और वैध आईडी प्रमाण सहित अपने साथ रखनी होगी।

iv. स्क्राइब पर लागू शर्तें

स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों को इन शर्तों का पालन करना होगा:

ए) केवल वे ही स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं जो दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं। स्क्राइब का अनधिकृत उपयोग और/या प्रतिपूरक समय अयोग्यता का कारण बनेगा, और यदि पहले से नियुक्त है, तो बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।

बी) कोई व्यक्ति रे.भ.बो.apply.gov.in पर ओटीआर पंजीकरण पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य कर सकता है।

सी) स्क्राइब एक सीईएन की परीक्षा में केवल एक उम्मीदवार की सहायता कर सकता है।

डी) कोई उम्मीदवार उसी सीईएन में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उल्लंघन करने पर

	<p>दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।</p> <p>ई) अभ्यर्थी के स्वयं के स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।</p> <p>एफ) उम्मीदवार, स्क्राइब के बारे में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए जिम्मेदार है। किसी भी प्रकार की प्रतिरूपण या झूठी जानकारी के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।</p> <p>जी) स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी कदाचार के लिए उम्मीदवार उत्तरदायी होगा।</p> <p>एच) यदि किसी भी समय स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर देते या हल करते पाया जाता है, तो उम्मीदवार का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।</p>
14.7	<p>भरे गये आवेदन विवरण में संशोधन</p> <p>पूर्ण ऑनलाइन आवेदन जमा करने और अपेक्षित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, जो उम्मीदवार किसी भी विवरण में संशोधन करना चाहते हैं ('खाता बनाएँ' फॉर्म और चुने गए रे.भ.बो. में भरे गए विवरणों को छोड़कर) वे प्रति संशोधन ₹250 का गैर-वापसी योग्य संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'खाता बनाएँ' फॉर्म और 'चुने गए रे.भ.बो.' में दर्ज विवरण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले जा सकते। • संशोधन विंडो 17.10.2026 से 26.10.2026 तक खुली रहेगी। • 26.10.2026 के बाद संशोधन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। • उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले सभी जानकारी सावधानीपूर्वक सत्यापित कर लें। • आवेदन में संशोधन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु पैरा 17.0 देखें।

15.0 उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत कॉमन सर्विसेज सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का एक हिस्सा है और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा प्रबंधित की जाती है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने और ई-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। कॉमन सर्विसेज सेंटर की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम कॉमन सर्विसेज सेंटर जानने के लिए, कृपया फाइंड माई सीएससी (<https://findmycsc.nic.in/csc/>) का लिंक खोलें।

16.0 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव के बारे में प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट के लिए अक्सर रे.भ.बो. की आधिकारिक वेबसाइट (<https://rrb.indianrailway.gov.in/>) देखते रहें।

(अ) मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी की वैधता प्रदान करने का दायित्व उम्मीदवारों पर होगा।

(ब) महत्वपूर्ण :

- महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी संचार से संबंधित रे.भ.बो. की आधिकारिक वेबसाइट पर उनके वेबपेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- हालाँकि, उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ईमेल आईडी को पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखना होगा, ताकि एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से संवाद भेजा जा सके।
- रे.भ.बो. किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों तथा रे.भ.बो. के साथ पत्राचार के लिए अपनी पंजीकरण संख्या को ध्यानपूर्वक नोट कर लें तथा याद रखें।

17.0 आवेदन में संशोधन:

- ऑनलाइन आवेदन के अंतिम रूप से जमा होने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए रे.भ.बो. को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, बदलना या सही करना चाहता है, तो वह प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रुपये (गैर-वापसी योग्य) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएँ' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) और चुने गए रे.भ.बो. को बदला नहीं जा सकता है।

- बी) संशोधन शुल्क सभी अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया जाना है, चाहे उनका समुदाय और श्रेणी कुछ भी हो।
- सी) यदि कोई अभ्यर्थी अपना समुदाय एससी/एसटी से यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में बदलता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- डी) इसी प्रकार, यदि कोई अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक/पीडब्ल्यूवीडी से यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/गैर भूतपूर्व सैनिक/गैर पीडब्ल्यूवीडी आदि में बदल रहा है, तो उसे संशोधन शुल्क के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250 रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में, उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ई) ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क के भुगतान पर किसी भी संख्या में दी जाएगी।
- एफ) ऑनलाइन आवेदन में ऑनलाइन संशोधन, संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय के 10 (दस) दिन बाद तक की अनुमति होगी, यानी इस सीईएन के लिए 16.10.2026 (23:59 बजे)। संशोधन विंडो 17.10.2026 से 26.10.2026 तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, रे.भ.बो. आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं करेंगे।

18.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृति:

(अ) ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार किए जा सकते हैं:

- विभिन्न रे.भ.बो. या एक ही रे.भ.बो. में एक से अधिक आवेदन:- ऐसे मामले में, सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी रे.भ.बो. और आरआरसी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- उम्मीदवार की लाइव फोटो लेने के लिए पैरा 14.4 में दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 14.5 के तहत हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर परीक्षा के किसी भी चरण में उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। अभ्यर्थी का नाम किसी भी रे.भ.बो./आरआरसी की निषिद्ध सूची में होना।
- अभ्यर्थी का नाम किसी भी रे.भ.बो./आरआरसी की निषिद्ध सूची में होना।
- 18.0(ए) के तहत उपरोक्त पैरा में सूचीबद्ध विचलन सहित कोई अन्य अनियमितता जो आवेदन जांच चरण के दौरान, सीबीटी के लिए ई-कॉल लेटर जारी करने से पहले/बाद में या दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पाई जाती है। अन्य अनियमितता।

(ब) **अस्वीकृत आवेदन:** अस्वीकृत आवेदनों का विवरण संबंधित आरआरबी के वेबपेजों पर लॉग इन करके आधिकारिक आरआरबी के वेबसाइट पर देखा जा सकता है, साथ ही अस्वीकृति का कारण भी बताया जाएगा जो अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदनों के अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को डाक से सूचित नहीं किया जाएगा।

19.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश:

- (ए) सीबीटी शेड्यूल तथा ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिंक संबंधी सूचना और विवरण आरआरबी की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस एवं/या ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों का नियमित रूप से अवलोकन करते रहना चाहिए, क्योंकि आरआरबी के नियंत्रण से परे कारणों से अभ्यर्थियों को एसएमएस/ई-मेल का प्रेषण सफल न होने की संभावना रहती है।
- (बी) पात्र उम्मीदवार सीबीटी के लिए अपना ई-कॉल लेटर (और जहां लागू हो, वहां स्काइब के लिए) पैरा 16.0 में दिए गए अनुसार रे.भ.बो. की वेबसाइट से सीबीटी की तारीख से लगभग 4 (चार) दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।
- (सी) अभ्यर्थियों को डाक द्वारा कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।
- (डी) सीबीटी के बारे में विस्तृत जानकारी और निर्देश कॉल लेटर के साथ दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- (ई) **निःशुल्क यात्रा सुविधा:-** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो निःशुल्क रेल यात्रा के पात्र हैं, उनके ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेल पास) होगा। ऐसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके रेल आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना **मूल समुदाय प्रमाण पत्र और पहचान का मूल निर्धारित प्रमाण** साथ रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।
- (एफ) परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ई-कॉल लेटर के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार सरकारी कर्मचारी है तो

- नियुक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय फोटो पहचान पत्र (यदि अभी भी अध्ययन कर रहे हैं), आदि) परीक्षा हॉल में लाना होगा, अन्यथा उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (जी) सीबीटी/डीवी/एमई के दौरान, उम्मीदवारों को एक रंगीन पासपोर्ट फोटो लाना होगा जो सीबीटी/डीवी/एमई की तारीख से दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जैसा भी लागू हो।

20.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

- (ए) डी.वी. के लिए चुने गए उम्मीदवारों को डी.वी. के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ स्व-सत्यापित तस्वीर कॉपी के दो सेट जमा कराने होंगे।
- (बी) इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) अपनी डीवी तिथि से पहले पोर्टल - <https://oirms-ir.gov.in/rbdrv> के माध्यम से अपलोड करनी चाहिए।
- (सी) सभी प्रमाणपत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। जहाँ प्रमाणपत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, वहाँ स्व-प्रमाणित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) जहाँ भी/जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में ही होने चाहिए। हालांकि, यदि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार राजभाषा से भिन्न, एससी/एसटी/ओबीसी के लिए जाति/समुदाय प्रमाण पत्र तय प्रारूप में किसी भी अनुसूचित भाषा में जारी करती है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती।
- (डी) दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (ई) जो उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (एफ) जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाना चाहते हैं/या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित / संबंधित प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग -एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्वसैनिक/बंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति श्रेणी के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि वे पात्र हैं, तो उनकी उम्मीदवारी / आवेदन सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के अंतर्गत विचार किए जाएंगे। प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। **किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
- (जी) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, (जैसे कि प्रोविजनल या रेगुलर) पर जारी होने कि तारीख लिखी होनी चाहिए। अगर ये प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन की आखरी तारीख के बाद जारी किए गए हैं, तो अंतिम पात्रता परीक्षा का नतीजा घोषित होने की तारीख वाली समेकित मार्क शीट या फिर हर सेमेस्टर/साल कि अलग अलग मार्क शीट (जिन पर नतीजा घोषित होने की तिथि लिखी हो) जमा करनी होगी। अगर इनमें से किसी भी प्रमाण-पत्र में पास होने की तारीख नहीं दी गई है, तो डीवी के समय उस संस्थान/बोर्ड/यूनिवर्सिटी से परिणाम घोषित होने की तारीख वाला प्रमाण-पत्र दिखाना होगा।

21.0 अनुचित व्यवहार का प्रयोग:

- (ए) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, गलत बयानी या तथ्यों को छिपाना, गलत जानकारी देना या झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना आदि जैसे किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर, किसी भी उम्मीदवार को सभी रे.भ.बो. और आरआरसी की सभी परीक्षाओं में आजीवन अनुपस्थित रहने से वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले ही नियुक्त हो चुका है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। [ध्यान दें: 21.06.2024 से प्रभावी "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024" अधिनियम] जैसा 31.07.2026 को संशोधित
- (बी) परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, आरआरबी व्यापक परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करते हैं। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जाँच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करना और सभी आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वंचित करना शामिल है।
- (सी) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित और अनुचित प्रभाव का उपयोग करने पर संबंधित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे पद से हटा दिया जाएगा।
- (डी) **चेतावनी:** रेल में या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों का उपयोग करके नियुक्ति का प्रस्ताव देने वाले बेईमान तत्वों और नौकरी रैकेटियरों से सावधान रहें। रे.भ.बो. भर्ती के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करता है। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है।

22.0 विविध:

- (ए) भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी विसंगति के मामले में, संबंधित रे.भ.बो. को उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (बी) रे.भ.बो किसी भी अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि करने तथा उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं संचालित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।
- (सी) रे.भ.बो. किसी भी चरण में अतिरिक्त सीबीटी/डीवी (आवश्यकतानुसार) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते

हैं। रे.भ.बो. इस सीईएन में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए किसी भी भर्ती प्रक्रिया को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त, रे.भ.बो. तकनीकी बाधाओं/अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी भी सीबीटी/डीवी को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

- (डी) पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करना, गलत सूचना के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रे.भ.बो. का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में रे.भ.बो. द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ई) रे.भ.बो. किसी भी अनजाने/मुद्रण त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ऐसी त्रुटियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अनजाने/मुद्रण त्रुटि(यों) के कारण, यदि किसी उम्मीदवार का चयन सीबीटी/दस्तावेज सत्यापन (DV) के लिए होता है या परिणाम घोषित होता है, या उसे पैन्ल में शामिल किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, तो आरआरबी परिणामों को रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि वह पहले ही नियुक्त हो चुका है, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है, बशर्ते कि योग्यता और अवसर की समानता के सिद्धांत को मूल आधार माना जाए।
- (एफ) आवेदन के अनंतिम रूप से स्वीकृत होने और सीबीटी के लिए ई-कॉल लेटर प्राप्त होने के बाद, इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे, संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएंगे, जिसके अंतर्गत संबंधित आरआरबी चयनित उम्मीदवार स्थित है। हालाँकि, किसी भी कारण से आवेदन अस्वीकार होने पर, इस सीईएन से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मुद्दे, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना के रांची सर्किट बेंच / झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय के कानूनी क्षेत्राधिकार में आएंगे।
- (जी) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट अधिसूचना के विरुद्ध जारी किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट देखते रहें।
- (एच) व्याख्या के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण और उसके बाद आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर प्रकाशित संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना को अंतिम माना जाएगा।

23.0 इस सीईएन में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप:

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी = कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डीवी = दस्तावेज सत्यापन, एमई=चिकित्सा परीक्षण
आरक्षण/ आयु में छूट कोटी	ईवीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस (EWS) = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूपू.सै.= भूतपूर्व सैनिक, अपिव-सीएल= अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रीमी लेयर, अपिव-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर, अ. जा. = अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. = अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अना = अनारक्षित (सामान्य)
दिव्यांगता	बीआई = दृष्टि बाधिता (बी=अंधा और एलबी=कम दृष्टि), एचआई = श्रवण बाधिता (डी=बधिर, एचएच=कम सुनने वाला), एलडी = लोको मोटर अशक्ता (ओए, ओएल = एक पैर, ओएएल = एक हाथ-पैर, बीएल = दोनों पैर), डीडब्ल्यू = बौनापन, सीपी=सेरेब्रल पाल्सी, एएवी=एसिड अटैक पीड़ित, एलसी=कुष्ठरोग उपचारित, एमडी = मांसपेशीय दुर्बिकास, एसडी (बिना एन/एल डीएफ) = रीढ़ की विकृति (तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के बिना), एसआई (बिना एन/एल डीएफ) = रीढ़ की हड्डी में चोट (बिना तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के), ओडी = अन्य दिव्यांगता, एमडी = एकाधिक दिव्यांगता
रेल जोन	बीएलडब्ल्यू = बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, सीएलबल्यू= चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, म.रे=मध्य रेल, पू.म.रे=पूर्व मध्य रेल, पू.तरे=पूर्व तटीय रेल, पू.रे=पूर्वी रेल, सडिक=इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आरसीएफ=रेल कोच फैक्ट्री, एमसीएफ= मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली, आरडब्ल्यूएफ=रेल व्हील फैक्ट्री, उरे=उत्तरी रेल, उमरे=उत्तर मध्य रेल, उपूरे=उत्तर पूर्वी रेल, मेट्रो = कोलकाता मेट्रो, पूसीरे=पूर्वोत्तर सीमांत रेल, उपरे=उत्तर पश्चिमी रेल, अजमासं=अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, आरडबल्यूपी = रेल व्हील प्लांट,बेला, दरे=दक्षिणी रेल, दमरे=दक्षिण मध्य रेल, दपूरे=दक्षिण पूर्वी रेल, दपूमरे=दक्षिण पूर्व मध्य रेल, दतरे = दक्षिण तटीय रेल, दपरे=दक्षिण पश्चिमी रेल, परे=पश्चिमी रेल, पमरे=पश्चिम मध्य रेल, रे.भ.बो.=रेल भर्ती बोर्ड, आरआरसी=रेल भर्ती प्रकोष्ठ
रेल भर्ती बोर्ड (रे.भ.बो.)	एडीआई = अहमदाबाद, एआईआई = अजमेर, बीबीएस = भुवनेश्वर, बीसीटी = मुंबई, बीएन सी= बेंगलुरु, बीपीएल=भोपाल, बीएलएसपी = बिलासपुर, सीडीजी = चंडीगढ़, जीकेपी=गोरखपुर, जीएचवाई=गुवाहाटी, जेएटी=जम्मू श्रीनगर, केओएल = कोलकाता, एमएस=चेन्नई, एमएलडी=मालदा, एमएफपी =मुजफ्फरपुर, पीएनबीई = पटना, पीआरवाईजे = प्रयागराज, आरएनसी=रांची, एससी= सिकंदराबाद, एसजीयूजे=सिलीगुड़ी, टीबीसी=तिरुवनंतपुरम
सामान्य	एनटीसी =राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र, एलटीआई =बाएँ अंगुठे का निशान, पीएसयू =सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीयू =उत्पादन इकाई, सीबीएसई =केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, , आईएफएससी= इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जेपीईजी = जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, केबी =किलोवाइट, ओटीपी = वन टाइम पासवर्ड

चेतावनी:

- दलालों एवं नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें, जो प्रभाव का उपयोग करने अथवा अनुचित एवं अनैतिक साधनों के माध्यम से रेलवे में नौकरी दिलाने का झूठा आश्वासन देकर अभ्यर्थियों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। आरआरबी /आरआरसी ने अपने कार्य हेतु भी एजेंट अथवा कोचिंग संस्थान को अधिकृत नहीं किया है। अभ्यर्थियों को ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा

किए जाने वाले किसी भी प्रकार के दावों से सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतः योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जाता है। असामाजिक एवं धोखाधड़ी करने वाले तत्वों से सावधान रहें तथा उनके झाँसे में न आएं। जो अभ्यर्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरआरबी/आरआरसी को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।

2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों का ही अवलोकन करें तथा असामाजिक तत्वों/दलालों द्वारा संचालित फर्जी वेबसाइटों एवं सोशल मीडिया से सावधान रहें।

सीईएन 05/2026 पोस्ट पैरामीटर

कोटि सं.	पदों का नाम	लेवल	पे	मेडिकल स्टैण्डर्ड	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र	बैचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
							VI	HI	LD	OD	MD	
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	44900	सी1	20	40	No	No	OL, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	No	भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या अन्य संस्थान से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के साथ पंजीकृत नर्स और मिडवाइफ के रूप में प्रमाण पत्र या बी.एससी. नर्सिंग। नोट: भारतीय नर्सिंग परिषद ने सहायक नर्स मिडवाइफ, मिडवाइफ और बी ग्रेड नर्सों के संबंध में उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए कुछ विशेष रियायतें भी निर्धारित की हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम अवधि में कमी आदि। इन रियायतों के तहत ऊपर निर्धारित योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी भर्ती के लिए पात्र होंगे।
2	डाईलायसिस तकनीशियन	6	35400	बी1	20	33	No	D, HH	OL, DW, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes	बी.एससी., प्लस (ए) हेमोडायलिसिस में डिप्लोमा या (बी) हेमोडायलिसिस में दो साल का संपोषजनक इन-हाउस प्रशिक्षण / अनुभव किसी प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य करना (प्रमाण संलग्न किया जाना है।) नोट: डायलिसिस तकनीक में बी.एससी./ डायलिसिस टेक्नोलॉजी में बी.एससी./ रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में बी.एससी. भी समकक्ष/स्वीकार्य योग्यता है।
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	35400	सी1	18	33	LV	D, HH	OA, OL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes	पाठ्यक्रम के दौरान रसायन विज्ञान की किसी भी शाखा में मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान का अध्ययन किया हो और बी.एससी. की डिग्री प्राप्त की हो। साथ ही (क) स्वास्थ्य/स्वच्छता निरीक्षक का एक वर्षीय डिप्लोमा या (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, थ्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया स्वास्थ्य/स्वच्छता निरीक्षक में एक वर्षीय राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (एनटीसी)।
4	ऑडियोलॉजिस्ट & स्पीच थेरेपिस्ट	6	35400	बी1	21	30	LV	No	OL, DW, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (BASLP) में बैचलर और भारत के पुनर्वास परिषद (RCI) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
5	फार्मासिस्ट (एंड्री ग्रेड)	5	29200	सी2	20	35	No	D, HH	OA, OL, OAL, LC, DW, AAV, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes	केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टिट्यूट से फार्मसी (एलोपैथिक) में बैचलर डिग्री और फार्मसी एक्ट, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होना, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टिट्यूट से डॉक्टर ऑफ फार्मसी की डिग्री और फार्मसी एक्ट, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होना।
6	रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन	5	29200	बी1	19	33	No	D, HH	OA, OL, BL, DW, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिकी और रसायन विज्ञान में 10+2 और रेडियोग्राफी/एक्सरे तकनीशियन/रेडियोडायग्नोसिस में डिप्लोमा प्रौद्योगिकी (2 वर्षीय पाठ्यक्रम)। रेडियोग्राफी/एक्सरे तकनीशियन/रेडियोडायग्नोसिस प्रौद्योगिकी (2 वर्षीय पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा वाले विज्ञान स्नातकों को प्राथमिकता दी जाएगी। नोट: बी.एससी. मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी / बी.एससी. मेडिकल रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी / बी.एससी. (रेडियोग्राफी) / बी.एससी. इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी / बी.एससी. इन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी / 2 साल का डिप्लोमा इन रेडियेशन टेक्नोलॉजी / 10+2 फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ और बैचलर डिग्री इन रेडियेशन टेक्नोलॉजी भी समकक्ष/स्वीकार्य योग्यता है।

7	ईसीजी तकनीशियन	4	25500	सी1	18	33	No	No	AAV	No	No	10+2/विज्ञान में स्नातक, ईसीजी प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी/कार्डियोलॉजी में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री /कार्डियोलॉजी तकनीशियन/कार्डियोलॉजी तकनीक किसी प्रतिष्ठित संस्थान से। ध्यान दें: प्रमाणपत्र न्यूनतम एक वर्ष या उससे अधिक अवधि का होना चाहिए। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा शिखा का माध्यम संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान और संसद के अधिनियम के तहत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रोजगार के लिए स्वतः मान्यता प्राप्त हो जाते हैं, बशर्ते कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
8	ऑटोमेट्रिस्ट	4	25500	बी1	18	33	No	D, HH	OL, DW, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes	ऑटोमेट्री में बी.एससी या ऑफ़थाल्मिक टेक्नीशियन में डिप्लोमा (कोर्स की अवधि 3 से 4 साल होना चाहिए)। उम्मीदवार के पास संबंधित काउंसिल/लाइसेंसिंग बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
9	लेब सहायक ग्रेड II	3	21700	बी1	18	33	No	D, HH	OL, BL, DW, SD (Without N/L Df), SI (Without N/L Df)	No	Yes	विज्ञान में 12वीं (10+2 स्तर) प्लस (क) मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा (डीएमएलटी) (या) (ख) मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा (डीएमएलटी) के समकक्ष, बशर्ते कि (i) कोर्स किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार/केंद्र सरकार के तकनीकी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किया गया हो (ii) कोर्स की अवधि कम से कम 01 वर्ष हो (iii) कोर्स के दौरान उम्मीदवार ने पूर्णकालिक आधार पर प्रशिक्षण लिया हो और (iv) कोर्स के अंत में, परीक्षा की व्यवस्था हो जिसे उम्मीदवार ने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो। नोट: सर्टिफिकेट कम से कम एक वर्ष की अवधि का होना चाहिए और उपरोक्त योग्यता पूर्णकालिक होनी चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों और संसद के अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा शिखा को केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रोजगार के उद्देश्य से स्वतः मान्यता प्राप्त हो जाती है, बशर्ते कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

नोट: 12वीं (10+2 स्तर) विज्ञान में और नैचुरल ऑफ साइंस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की डिग्री भी समकक्ष/स्वीकार्य योग्यता है।

सभी अधिसूचित पदों के लिए रे.भ.बो.-वार, रेलवे/पीयू-वार और पद-वार शक्तियां

क्र.सं.	को.टि.	पदों का नाम	7वें वेलम आयोग लेवल	रेल	युआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल	भू.सू. सैनिक	दिव्यांग (PwBD) सिक्तियां					
												वीआई	एलडी	एचआई	एमडी	बैकलॉग वीआई	बैकलॉग एलडी
अहमदाबाद																	
5		फार्मासिस्ट (पंटी ग्रेड)	5	WR	4	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0
7		ईसीजी तकनीशियन	4	WR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9		लेब सहायक ग्रेड II	3	WR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
रे.भ.नो. बहुमदाबाद कुल					6	0	1	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0
अजमेर																	
5		फार्मासिस्ट (पंटी ग्रेड)	5	NWR	2	1	2	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0
6		रेडियोग्राफर एकम-रे तकनीशियन	5	NWR	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
9		लेब सहायक ग्रेड II	3	NWR	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
रे.भ.नो. बजमेर कुल					6	1	2	2	0	11	0	0	0	0	0	0	0
बैंगलुरु																	
1		नर्सिंग अधीक्षक	7	SWR	4	2	0	3	0	9	1	0	0	0	0	0	0
3		स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	SWR	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
5		फार्मासिस्ट (पंटी ग्रेड)	5	SWR	2	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0
6		रेडियोग्राफर एकम-रे तकनीशियन	5	SWR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
रे.भ.नो. बैंगलुरु कुल					7	4	1	5	1	18	1	0	0	0	0	0	0
भोपाल																	
1		नर्सिंग अधीक्षक	7	WCR	9	1	0	3	2	15	2	0	1	0	0	0	0
5		फार्मासिस्ट (पंटी ग्रेड)	5	WCR	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
6		रेडियोग्राफर एकम-रे तकनीशियन	5	WCR	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
9		लेब सहायक ग्रेड II	3	WCR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
रे.भ.नो. भोपाल कुल					11	5	0	3	2	21	2	0	1	0	0	0	0
भुवनेश्वर																	
1		नर्सिंग अधीक्षक	7	ECoR	2	0	1	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0
5		फार्मासिस्ट (पंटी ग्रेड)	5	ECoR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
रे.भ.नो. भुवनेश्वर कुल					3	0	1	1	0	5	0	0	1	1	0	0	0
बिलासपुर																	
1		नर्सिंग अधीक्षक	7	CR	1	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
			7	SECR	6	0	0	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0
3		स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	CR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
			5	CR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5		फार्मासिस्ट (पंटी ग्रेड)	5	SECR	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6		रेडियोग्राफर एकम-रे तकनीशियन	5	SECR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9		लेब सहायक ग्रेड II	3	SECR	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
रे.भ.नो. बिलासपुर कुल					12	2	0	2	2	18	1	0	0	0	0	0	0

सभी अधिसूचित पदों के लिए रे.भ.बो.-वार, रेलवे/पीयू-वार और पद-वार रिक्तियां

Annexure B

को टि सं.	पदों का नाम	7वें वेतन अयोग लेवल	रेल	युआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ई डब्लू एस.	कुल	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग (PwBD) रिक्तियां						
											वीआई	एलडी	एचआई	एमडी	बैकलॉग वीआई	बैकलॉग एलडी	बैकलॉग एचआई

चंडीगढ़

4	ऑडियोविजिट & स्पीच थेरेपिस्ट	6	NR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	NR	2	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रे.भ.बो. चंडीगढ़ कुल			3	2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

चेन्नई

1	नर्सिंग अधीक्षक	7	SR	7	8	3	8	1	27	3	0	2	0	0	0	0	0	0
2	डाइलायसिस तकनीशियन	6	SR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	SR	4	2	2	6	0	14	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	SR	5	2	3	3	2	15	2	0	1	0	0	0	0	0	0
6	रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन	5	SR	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ईसीजी तकनीशियन	4	SR	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	लेब सहायक ग्रेड II	3	SR	3	0	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	रे.भ.बो. चेन्नई कुल			19	13	9	19	5	65	7	0	3	1	0	0	0	0	0

गोरखपुर

1	नर्सिंग अधीक्षक	7	NER	11	5	3	3	2	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	NER	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	NER	2	0	2	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन	5	MCF	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	लेब सहायक ग्रेड II	3	MCF	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रे.भ.बो. गोरखपुर कुल			15	6	5	4	3	33	3	0	0	0	0	0	0	0	0

गुवाहाटी

1	नर्सिंग अधीक्षक	7	NFR	8	3	2	4	1	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	NFR	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	NFR	3	0	2	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ईसीजी तकनीशियन	4	NFR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	लेब सहायक ग्रेड II	3	NFR	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रे.भ.बो. गुवाहाटी कुल			12	4	4	7	2	29	2	0	0	0	0	0	0	0	0

जम्मू-श्रीनगर

1	नर्सिंग अधीक्षक	7	NR	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	RCF	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	RCF	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ईसीजी तकनीशियन	4	RCF	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रे.भ.बो. जम्मू-श्रीनगर कुल			1	2	2	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0

सीईएन सं. 05/2026 (पैरामेडिकल कोटियां)

सभी अधिसूचित पदों के लिए रे.भ.बो.-वार, रेलवे/पीयू-वार और पद-वार रिक्तियां

क्र.सं.	पदों का नाम	7वें वेतन आयोग लेवल	रेल	युआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल	भ.पू.सैनिक	दिव्यांग (PwBD) रिक्तियां							
											वीआई	एलडी	एचआई	एमडी	बैकलॉग एलडी	बैकलॉग एचआई	बैकलॉग एमडी	
कोलकाता																		
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	ER	8	13	6	7	6	40	4	0	3	0	0	0	0	0	
			METRO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SER	16	7	6	2	2	33	3	0	1	0	0	0	0	0	
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	CLW	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ER	5	0	1	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	
			CLW	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	फार्मासिस्ट (एंटी ग्रेड)	5	CLW	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ER	5	0	2	1	1	9	0	0	0	1	0	0	0	0	
			SER	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन	5	ER	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SER	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ER	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	लेब सहायक ग्रेड II	3	ER	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SER	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ER	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
रे.भ.बो. कोलकाता कुल																		
मालदा																		
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	ER	6	4	1	2	1	14	2	0	2	0	0	0	0	0	
			SER	2	1	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	
			ER	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	ER	3	2	1	1	1	8	1	0	1	0	0	0	0	0	
			SER	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ER	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	फार्मासिस्ट (एंटी ग्रेड)	5	ER	3	2	1	1	1	8	1	0	1	0	0	0	0	0	
			SER	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ER	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
रे.भ.बो. मालदा कुल																		
मुम्बई																		
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	CR	13	8	1	8	3	33	4	0	1	0	0	0	0	0	
			CR	3	1	1	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
			CR	6	3	1	2	0	12	1	0	0	2	0	0	0	0	0
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	5	CR	3	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
			CR	3	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
			CR	4	1	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	फार्मासिस्ट (एंटी ग्रेड)	5	CR	4	1	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	
			CR	4	1	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
			CR	4	1	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
रे.भ.बो. मुम्बई कुल																		
मुजफ्फरपुर																		
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	ECR	6	1	2	4	2	15	2	0	2	0	0	0	0	0	
			ECR	3	0	1	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
			ECR	9	1	3	4	2	19	2	0	2	1	0	0	0	0	0
रे.भ.बो. मुजफ्फरपुर कुल																		

सभी अधिसूचित पदों के लिए र.भ.बो.-वार, रेलवे/पीयू-वार और पद-वार रिक्तियां																		Annexure B		
क्र.सं.	पदों का नाम	7वें वेतन आयोग लेवल	रेल	युआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग (PwBD) रिक्तियां					बैकलॉग एमडी	बैकलॉग एचआई	बैकलॉग एमडी		
											वीआई	एलडी	एचआई	एमडी	बैकलॉग एलडी					
पटना																				
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	ECR	1	3	2	3	0	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
		7	RWP	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	ECR	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	ECR	0	3	1	1	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन	5	ECR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	ऑटोमेट्रिस्ट	4	ECR	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	लेब सहायक ग्रेड II	3	ECR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	र.भ.बो. पटना कुल			5	7	4	4	1	21	2	0	2	0	0	0	0	0	0		
प्रयागराज																				
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	BLW	2	1	0	2	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	NCR	7	1	0	1	1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	NR	1	2	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	BLW	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	NCR	2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	NR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन	5	BLW	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	लेब सहायक ग्रेड II	3	BLW	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	लेब सहायक ग्रेड II	3	NCR	1	1	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
	र.भ.बो. प्रयागराज कुल			17	6	2	5	3	33	2	0	1	0	0	0	0	0	0		
राँची																				
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	ECR	4	1	1	3	0	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
		7	SER	1	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	ECR	2	1	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	SER	3	0	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
	र.भ.बो. राँची कुल			10	3	2	5	0	21	1	0	3	1	0	1	0	0	0		
सिकन्दराबाद																				
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	SCR	15	4	5	11	5	40	4	0	2	0	0	0	0	0	0		
		7	SCoR	6	1	1	4	1	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	SCR	2	1	1	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
5	फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड)	5	SCR	2	1	1	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	रेडियोग्राफर एक्स-रे तकनीशियन	5	SCR	2	1	1	1	1	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
9	लेब सहायक ग्रेड II	3	SCR	1	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
	र.भ.बो. सिकन्दराबाद कुल			28	8	9	18	8	71	7	0	4	2	0	0	0	0	0		

सीईएन सं. 05/2026 (पैरामेडिकल कोटियां)

Page 35 of 52

Annexure B

सभी अधिसूचित पदों के लिए रे.भ.बो.-वार, रेलवे/पीयू-वार और पद-वार रिक्तियां

कोटि सं.	पदों का नाम	7वें वेतन आयोग लेवल	रेल	युआर	एससी	एस टी	ओबीसी	ई.डब्ल्यू .एस.	कुल	भू.पू. सैनिक	दिव्यांग (PwBD) रिक्तियां							
											वीआई	एलडी	एच आई	एमडी	वैकलिंग	वैकलिंग	वैकलिंग	वैकलिंग
															एलडी	एचआई	एचआई	एचआई
सिलिगुड़ी																		
1	नर्सिंग अधीक्षक	7	NFR	7	2	1	4	2	16	2	0	1	0	0	0	0	0	
3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II	6	NFR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	फार्मासिस्ट (एंड्री ग्रेड)	5	NFR	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	रे.भ.बो. सिलिगुड़ी कुल			9	2	1	5	2	19	2	0	1	0	0	0	0	0	
	सभी रे.भ.बो. कुल योग			255	106	69	113	46	590	49	0	28	11	0	1	0	0	

सीईएन सं. 05/2026 (पैरामेडिकल कोटियां)

Page 36 of 52

अनुलग्नक - सी		
पैरा-मेडिकल श्रेणियों के विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम, सीईएन संख्या 05/2026		
क्र.सं.	कोटि सं.	पदों का नाम
1	1	नर्सिंग अधीक्षक
2	2	डाईलायसिस तकनीशियन
3	3	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड II
4	4	ऑडियोलॉजिस्ट & स्पीच थेरेपिस्ट
5	5	फार्मासिस्ट (एट्री ग्रेड)
6	6	रेडियोग्राफर तकनीशियन
7	7	ईसीजी तकनीशियन
8	8	ऑप्टोमेट्रिस्ट
9	9	लेब सहायक ग्रेड II

सभी पदों के लिए सामान्य:

क्र.सं.	विषय	पाठ्यक्रम
1	सामान्य अंकगणित	संख्या प्रणाली, BODMAS, दशमलव, भिन्न, LCM और HCF, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी।
2	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क	सादृश्य, वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, संबंध, न्यायवाक्य, जम्बलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विशेषणवाचक तर्क, वर्गीकरण, निर्देश, कथन-तर्क और धारणाएं आदि।
3	सामान्य जागरूकता	समसामयिक घटनाओं, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत के इतिहास सहित स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि का ज्ञान।
4	सामान्य विज्ञान	भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान (10वीं कक्षा तक सीबीएसई पाठ्यक्रम)।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती / कुमारी * पुत्र/पुत्री* गांव/कस्बा.....
/जिला/मंडल*
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश* जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है: -

- @संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
- @संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
- @संविधान (अनुसूचित जातियां) (केन्द्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;
- @संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (केन्द्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;
- [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित]
- @संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- @संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित
- @संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- @संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- @संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- @संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- @संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- @संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- @संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- @संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- @संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- @संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- @संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002।
- @अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002,
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007

समय-समय पर यथासंशोधित

%2. यह उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/ श्रीमती *.....श्री/ श्रीमती / कुमारी के पिता/माता*गांव/कस्बा * को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

%3. श्री/ श्रीमती / कुमारी *.....और/या* उनका/उनकी* परिवार सामान्यतः गांव शहर*.....
 जिला/संभाग*.....राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश* में रहता है।

स्थान.....दिनांक.....

हस्ताक्षर.....पदनाम

..... (कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश.....

*कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें हटा दें। @ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें। % वह पैराग्राफ हटाएँ, जो लागू न हो।

टिप्पणी: (ए) यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी: 1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)। 2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। 3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों। 4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है। 5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो। 6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

ओबीसी -एनसीएल प्रमाण पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए
अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____, पुत्र/पुत्री* श्री/श्रीमती* _____,
ग्राम/कस्बा* _____, जिला/संभाग* _____, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश _____ के निवासी
हैं तथा _____ समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प
क्रमांक _____ दिनांक _____ ** के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ और/या उनका* परिवार _____ जिले/मंडल _____
_____ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के _____ में सामान्यतः निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या
36012/22/93-स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) में भारत सरकार के कार्मिक
एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.09.2017*** के कार्यालय ज्ञापन संख्या **36033/1/2013-स्था. (निवास)** द्वारा संशोधन किए जाने के
बाद भी सम्मिलित नहीं है।

दिनांक : _____

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/ अन्य सक्षम प्राधिकारी
(मुहर)

* कृपया जो शब्द लागू न हों, उन्हें हटा दें।

** प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का विवरण देना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति को
ओबीसी के रूप में दर्शाई गई हो।

*** समय-समय पर यथा संशोधित।

ध्यान दें :

(क) यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ होगा, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

(ख) जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा
प्राप्त मजिस्ट्रेट / सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा
प्राप्त मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से नीचे का न हो एवं उस क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी और/ या उनका परिवार निवास करता है, के
उप-मंडलीय अधिकारी।

ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों द्वारा स्व-घोषणा पत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 05/2026 के पदों के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय
प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

मैंपुत्र/पुत्री श्रीगांव/कस्बा/शहर जिला
.....राज्य का निवासी हूँ, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं
.....समुदाय (अपनी उप जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.
(एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवा में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।
यह भी घोषित किया जाता है कि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में
उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरक्षण) दिनांक 13.09.2017 द्वारा किए
गए उसके पश्चातवर्ती संशोधन के अनुसार भी क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आता/आती हूँ।

स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

दिनांक :

उम्मीदवार का नाम :

रे.भ.बो. पंजीकरण संख्या/रोल नं :

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र

सरकार
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

प्रमाण-पत्र संख्या: _____

दिनांक : _____

वर्ष _____ के लिए वैध

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी,
श्री _____ गांव/मोहल्ला _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य/संघ
शासित प्रदेश _____ पिन कोड _____ के मूल निवासी है, जिसकी फोटोग्राफ नीचे सत्यापित है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
से है, क्योंकि उसके/उसकी "परिवार"*** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष _____ के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।
उसके/उसकी परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है या उसके पास नहीं है***:

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/ कुमारी _____ जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हाल ही
का पासपोर्ट आकार का
फोटोग्राफ,
इस प्रमाण पत्र को
जारी करने वाले
प्राधिकारी द्वारा
सत्यापित किया जाना
है।

हस्ताक्षर सहित मुहर: _____

कार्यालय _____

नाम _____

पद का नाम _____

- * नोट 1 : आय में सभी स्रोत तथा वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि को जोड़ लिया गया है।
** नोट 2 : इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।
***नोट 3 : परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों अथवा ठिकानों/शहरों में धारित परिसम्पत्तियों को जोड़कर कुल भूमि अथवा परिसम्पत्ति के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर परीस्थिति की जाँच की गयी है

आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट /उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
- (iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों हेतु आय प्रमाण-पत्र

केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना संख्या (सीईएन) 05/2026 के तहत दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला प्रोफ़ॉर्म

प्रमाण-पत्र सं.: _____

1. उम्मीदवार का नाम : _____
2. पिता का नाम : _____
3. आयु : _____
4. आवासीय पता : _____
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों एवं अंकों में) : _____

दिनांक : _____

हस्ताक्षर : _____

नाम : _____

जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) से आशय उन उम्मीदवारों से है जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं :

1. ज़िला मजिस्ट्रेट या अन्य राजस्व अधिकारी जिनका स्तर तहसीलदार से नीचे न हो।
2. अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान सांसद।
3. राज्यसभा के वर्तमान संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।
4. केन्द्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए ।

घोषणा

केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना संख्या 05/2026 के तहत
दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परीक्षा शुल्क में छूट के लिए प्रोफॉर्म

मैं, श्री
..... का पुत्र/पुत्री, गाँव/कस्बा/शहर
..... जिला राज्य का निवासी, यह
घोषणा करता हूँ कि मैं [केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित
अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध /जैन/पारसी समुदाय से संबंधित हूँ।

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान:

उम्मीदवार का नाम

नोट : दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (यानी, मुस्लिम / सिख / ईसाई/बौद्ध / जैन / पारसी) से संबंधित है।

फॉर्म - V
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
(एकल दिव्यांगता के मामले में)
[नियम 18(1) देखें]
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांगजन का
नवीनतम पासपोर्ट
साइज फोटो
(केवल चेहरा दिख
रहा हो)

प्रमाण पत्र/यूडीआईडी सं: जारी करने की तिथि :.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने /हमने श्री/श्रीमती/ कुमारी,

पुत्र/पत्नी/पुत्री/अभिभावक जन्मतिथि(दिन/माह/वर्ष)आयुवर्ष,
 पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर..... पंजीकरण संख्यामकान नं.वार्ड/गांव/गली
 डाकघर जिला राज्य का स्थायी निवासी, जिसकी फोटो

ऊपर चिपकी हुई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि :

(क) उक्त व्यक्ति (निम्नलिखित दिव्यांगताओं में से किसी एक) से ग्रसित है :

(1) गतिविषयक दिवायांगता	(2) मांसपेशीय दुर्बिकास	(3) कुष्ठरोग उपचारित	(4) बौनापन
(5) प्रमस्तिष्क घात	(6) एसिड अटैक पीड़ित	(7) निम्न दृष्टि	(8) दृष्टिबाधिता
(9) श्रवण बाधिता	(10) वाक् और भाषा दिव्यांगता	(11) बौद्धिक दिव्यांगता	(12) विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता
(13) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार	(14) मानसिक रूग्णता	(15) चिरकालिक तंत्रिका दशाएं	(16) मल्टीपल स्क्लेरोसिस
(17) पार्किंसंस रोग	(18) हीमोफीलिया	(19) थैलेसीमिया	(20) सिकल शैल रोग

(ख) शरीर के प्रभावित हुए अंग का नाम

(ग) उसके मामले में मूल्यांकन यह है

(घ) व्यक्ति में% (आंकड़ों में) प्रतिशत (शब्दों में) दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र की प्रकृति (स्थायी/अस्थायी और (दिन/माह/वर्ष) तक वैध) है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं..... दिनांक (दिन/माह/वर्ष)..... के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का दिशा-निर्देशों के अनुसार आकलन करने के उद्देश्य से है।

दिव्यांग व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता:

भारत सरकार का लोगो(प्रतीक चिन्ह)	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का लोगो (प्रतीक चिन्ह)	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का लोगो (प्रतीक चिन्ह)
-----------------------------------	--	--

फॉर्म VI
दिव्यांगता प्रमाणपत्र
(बहु दिव्यांगता के मामले में)
[नियम 18(1) देखें]
(प्रमाणपत्र जारी करनेवाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाणपत्र संख्या : जारी करने की तिथि :

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि /हमने श्री/श्रीमती/ कुमारी
 पुत्र/पत्नी/पुत्री /अभिभावक जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष)
 आयु वर्ष, पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर पंजीकरण संख्या
 मकान नं. वार्ड/गांव/गली
 डाकघर जिला राज्य का स्थायी निवासी
 जिनका फोटो ऊपर चिपकी हुई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और हम संतुष्ट हैं कि:

दिव्यांगजन का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का फोटो
(केवल चेहरा दिख
रहा हो)

(क) वह **बहु-दिव्यांगता** से ग्रस्त है। इनकी शारीरिक दिव्यांगता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा का आकलन दिशानिर्देशों के अनुसार करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसे नीचे दी गई दिव्यांगताओं के लिए अधिसूचना सं..... दिनांक (दिन/माह/वर्ष)..... के माध्यम से अधिसूचित किया गया है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर के प्रभावित अंग का नाम	निदान	दिव्यांगता का प्रतिशत
1	गतिविषयक दिवायांगता			
2	मांसपेशीय दुर्विकास			
3	कुष्ठरोग उपचारित			
4	बौनापन			
5	प्रमस्तिष्क घात			
6	एसिड अटेक पीड़ित			
7	निम्न दृष्टि			
8	दृष्टिहीन			
9	श्रवण बाधित			
10	वाक् और भाषा दिव्यांगता			
11	बौद्धिक दिव्यांगता			
12	विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता			
13	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
14	मानसिक रूग्णता			
15	चिरकालिक तंत्रिका दशाएं			
16	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
17	पार्किंसंस रोग			
18	हीमोफीलिया			
19	थैलेसीमिया			
20	सिकल सेल रोग			

(नोट: केवल मूल्यांकन की गई दिव्यांगताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा।)

(ख) इनमें% (आंकड़े में) प्रतिशत (शब्दों में) समग्र दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र की प्रकृति स्थायी/अस्थायी और (दिनांक/माह/वर्ष) तक मान्य है।}

दिव्यांगजन के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्यों के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता:

स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र

- नोट: 1. दृष्टिहीन, गतिविषयक दिवायांगता (दोनों हाथ प्रभावित - बीए) और प्रमस्तिक घात की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति चाहे तो उसे स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V (सी) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।
2. बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्राइब के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है। उम्मीदवार अनुलग्नक V(एफ) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(सी) के अनुसार वचन पत्र परीक्षा केंद्र पर जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
3. दिव्यांगजन (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और लिखने में कठिनाई होने पर, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(डी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(ई) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले प्रस्तावित स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम
2. रोल नं.
3. सीबीटी केंद्र का नाम
4. उम्मीदवार की योग्यता
5. विकलांगता का प्रकार
6. स्क्राइब का नाम
- 6(a) मेरे स्क्राइब का आरआरबी के पास वनटाइम रजिस्ट्रेशन नंबर (ओटीआर) है :
7. स्क्राइब की जन्मतिथि
8. स्क्राइब के पिता का नाम
9. स्क्राइब का पता:
(क) स्थायी पता.....
(ख) वर्तमान पता
10. स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता
11. स्क्राइब का उम्मीदवार से सम्बन्ध (यदि कोई हो)

यहां स्क्राइब का हाल ही में लिया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी (रंगीन फोटोग्राफ दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

12. घोषणा:

- i) हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब/स्क्राइब द्वारा सहायता प्राप्त उम्मीदवारों के आचरण के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड के निर्देशों को पढ़ लिया है/पढ़ लिया गया है और हम उनका पालन करने का वचन देते हैं।
- ii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो हम दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- iii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब ने इस परीक्षा में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं किया है/नहीं करेगा।
- iv) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता से एक कदम कम है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता स्क्राइब द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तथा यह परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से परे है, तो उम्मीदवार को पद तथा उससे संबंधित दावों से वंचित होना पड़ेगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(स्क्राइब के हस्ताक्षर)



उपरोक्त बॉक्स में उम्मीदवार के बाएँ अंगूठे का निशान

उपरोक्त बॉक्स में स्क्राइब के बाएँ अंगूठे का निशान

वीक्षक का हस्ताक्षर

सीईएन सं. 05/2026 (पैरामेडिकल कोटियां)

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले, किंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले विशेष दिव्यांगता वाले व्यक्ति (अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में कठिनाई वाले व्यक्तियों) हेतु प्रमाण-पत्र

- यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती _____ (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री _____, निवासी _____ (गाँव/डाकघर/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु _____ वर्ष, की जांच की है। यह व्यक्ति _____ (दिव्यांगता/स्थिति का प्रकार) से ग्रस्त है तथा उसकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता प्रभावित होती है। अतः उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब (स्क्राइब) की सहायता की आवश्यकता है।
- उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण, जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र आदि (उपकरण का नाम उल्लेख करें), का उपयोग करता/करती है, जो स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक हैं।
- यह प्रमाण-पत्र केवल भर्ती एजेंसियों तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है तथा इसकी वैधता _____ तक होगी। (यह अधिकतम छह माह अथवा उससे कम अवधि के लिए वैध होगा, जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।)

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपीडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक थेरापिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारीअध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/ स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम
(मुहर सहित)

स्थान :

तारीख:

40% से कम विकलांगता और लिखने में कठिनाई का सामना करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र

यहां स्क्राइब का नवीनतम
रंगीन पासपोर्ट आकार का
फोटोग्राफ चिपकाएं,
जिसका आकार 3.5 सेमी x
4.5 सेमी हो। (रंगीन
फोटोग्राफ दो महीने से
अधिक पुराना नहीं होना
चाहिए)

उपरोक्त बॉक्स में स्क्राइब के हस्ताक्षर
(अर्थात फोटोग्राफ के नीचे वाले बॉक्स में)

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले विशेष दिव्यांगता वाले व्यक्ति अर्थात 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन पत्र

1. मैं _____, _____ (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) वाला उम्मीदवार,
(परीक्षा का नाम) _____ रोल नं. _____ (केंद्र का नाम)
_____ जिले _____ (राज्य का नाम) में परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहा हूँ।
मेरी शैक्षणिक योग्यता _____ है।
2. मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त परीक्षा में _____ (स्क्राइब का नाम) नीचे हस्ताक्षरकर्ता के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
3. मैं यह वचन देता हूँ कि उसकी योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है तथा मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद या प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।
4. आरआरबी के साथ मेरा स्क्राइब वनटाइम रजिस्ट्रेशन नंबर (ओटीआर) है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि उम्मीदवार नाबालिग है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

परीक्षार्थी को लिखने में शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती _____ (दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो _____
 _____ (विकलांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से ग्रस्त हैं, पुत्र/पुत्री _____
 (गांव/जिला/राज्य) _____ का निवासी हैं, उनका परीक्षण किया गया है और यह उल्लेख करता/करती हूं कि
 विकलांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं में बाधा डालती हैं।

हस्ताक्षर
 किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम और पदनाम
 सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

जगह:

तारीख:

नोट: प्रमाण पत्र संबंधित स्ट्रीम/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (जैसे दृश्य हानि - नेत्र रोग विशेषज्ञ, गतिविषयक दिवायांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर आदि)।

**भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ लेकर सिविल रोजगार के संबंध में
भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले घोषणा-पत्र का प्रारूप**

मैं समझता हूँ कि मैं इस केन्द्रीयकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) के अंतर्गत भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होऊंगा, यदि मैंने ऐसी नियुक्ति से पहले किसी भी समय भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाकर सिविल सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित) में कोई रोजगार प्राप्त किया हो।

मैं इसके साथ ही निम्नलिखित तथ्य भी घोषित करता हूँ:

- क) सीईएन _____ के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने से पूर्व, मैंने भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई भी सिविल रोजगार प्राप्त नहीं किया है।
- ख) मैंने सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाया है और मैंने सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले सीईएन _____ में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन(नों) के विवरण स्व-घोषणा/वचन पत्र द्वारा अपने नियोक्ता को दिया है, जिसके लिए मैंने आवेदन किया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व-घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
(जो लागू न हो उसे काट दें)

स्थान:

हस्ताक्षर:

दिनांक:

नाम:

रोल नम्बर:

नियोजित अधिकारियों (भूतपूर्व सैनिकों) के लिए प्रमाण-पत्र का प्रोफॉर्म

1. यह सूचित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती _____ (यूनिट /कार्यालय) में _____ (रैंक) के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने विज्ञापन संख्या _____ के माध्यम से दिनांक _____ में विज्ञापित _____ पद के लिए आवेदन किया है।
2. मैं, उपलब्ध जानकारी के साथ, श्री/कुमारी/श्रीमती _____ (नाम) संख्या _____ (रैंक), के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रमाणित करता हूँ :-
 - i) वह भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए _____ वर्षों (शब्दों में) की निर्धारित अवधि को, अन्य शर्तों की पूर्ति के करने पर, _____ (दिनांक) को पूरा कर लेगा। श्री/कुमारी/श्रीमती _____ अनापत्ति प्रमाण-पत्र की दिनांक पर _____ वर्ष की सेवा (शब्दों में) तथा सैन्य सेवा छोड़ने के समय _____ सेवा के वर्ष (शब्दों में) पूरा कर लेगा।
 - ii) उनका पद पर चयन होने पर उसे सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान:

दिनांक:

कमांडिंग ऑफिसर:

(हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर

ऑनलाइन रेफ नं _____ जमा करने की तिथि और समय

(यह फॉर्म ऑनलाइन जनरेट किया जाता है और इसे मैन्युअल रूप से नहीं भरा जाना चाहिए।)

प्रमाण-पत्र पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं

उम्मीदवार का नाम : _____

आवेदन संख्या : _____

राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
सत्यापित
फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री _____ पुत्र/पुत्री श्री _____, निवासी
_____ रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के **CEN 05/2026** के अंतर्गत आवेदन संख्या _____ के साथ
आवेदन कर रहा/रही हैं तथा अभ्यर्थी की नवीनतम फोटो आवेदन पत्र की फोटो से मेल खाती है।

सत्यापन अधिकारी का नाम : _____

पदनाम : _____

हस्ताक्षर : _____

राजपत्रित अधिकारी की मुहर/सील : _____

दिनांक : _____

स्थान : _____

नोट- सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर इस प्रकार किए जाएँ कि हस्ताक्षर का एक भाग प्रमाण-पत्र पर तथा दूसरा भाग उम्मीदवार के नवीनतम फोटोग्राफ पर आए। (चेहरे को ढकना नहीं)